



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04092020-221553  
CG-DL-E-04092020-221553

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 227]  
No. 227]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 3, 2020/BHADRA 12, 1942

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2020

सं. केंसकबो-12/198/2017-केंसकबो.—महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (कें.स.क.बो.), स्वायत्त निकाय के भर्ती और पदोन्नति नियमों में दिनांक 22.02.2017 से संशोधन किया है। संशोधित भर्ती और पदोन्नति नियमों की प्रतियां संलग्न हैं।

आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की एक प्रति सभी संबंधित को परिचालित कर दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को सामान्य सूचना हेतु भारत के असाधारण-राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

एम. इमकोगला जमीर, संयुक्त सचिव

संयुक्त निदेशक पद के लिए भर्ती नियम

1	पद का नाम	:	संयुक्त निदेशक
2	पदों की संख्या	:	3 (तीन)* *कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अंतर आ सकता है
3.	वर्गीकरण	:	ग्रुप 'ए' लिपिकवर्गीय

4. वेतनमान : रु. 15600-39100+7600 (ग्रेड वेतन)
5. पद चयनित है या गैर चयनित : चयनित
6. क्या केंद्रीय सेवा नियमावली (पेंशन नियम), 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा के अतिरिक्त वर्ष का लाभ स्वीकार्य है : लागू नहीं
7. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा : लागू नहीं
8. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं : लागू नहीं
9. क्या पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यता लागू होगी : लागू नहीं
10. परिवीक्षा की अवधि, यदि हो : लागू नहीं
11. भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत : पदोन्नति द्वारा और ऐसा न हो पाने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
12. पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण द्वारा भर्ती किए जाने के मामले में : उपनिदेशकों से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने उस पद पर नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर 5 वर्ष की सेवा की हो।  
केंद्र सरकार/केंद्र सरकार के अधीन स्वायत्त निकायों के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा :  
क)- जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर कार्यरत हों; या  
जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में रु.15600-39100+6600 (ग्रेड वेतन) या समकक्ष में नियुक्ति के बाद संबंधित श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो, और  
ख). जिनके पास निम्नानुसार निर्धारित योग्यता और अनुभव है:  
अनिवार्य: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और संस्थान से लोक प्रशासन/समाज कार्य/अर्थशास्त्र/ग्रामीण विकास/एमबीए/पीजीडीएम में स्नातकोत्तर के साथ प्रशासन और स्थापना संबंधी मामलों में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव तथा कंप्यूटर एवं संबंधित सॉफ्टवेयरों का कार्यसाधक ज्ञान।  
प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसमें उसी अथवा किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति के तुरंत पहले धारित अन्य बाह्य संवर्ग(एक्स कैडर) पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल होगी।  
प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है : i) अध्यक्ष - अध्यक्ष  
ii) कार्यकारी निदेशक - सदस्य

**Staffnews.in**

- iii) महिला एवं बाल -सदस्य  
विकास मंत्रालय से  
एक अधिकारी जो  
निदेशक के स्तर से  
नीचे का न हो
- 14 किन परिस्थितियों में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा : लागू नहीं  
आयोग से परामर्श किया जाएगा

### उप निदेशक पद के लिए भर्ती नियम

- 1 पद का नाम : उप निदेशक
- 2 पदों की संख्या : 07 (सात)\*  
\* कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अंतर आ सकता है
3. वर्गीकरण : ग्रुप 'ए' लिपिकवर्गीय
4. वेतनमान : रु. 15600-39100+6600 (ग्रेड वेतन)
5. पद चयनित है या गैर चयनित : चयनित
6. क्या केंद्रीय सेवा नियमावली (पेंशन नियम), 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा के अतिरिक्त वर्ष का लाभ स्वीकार्य है : लागू नहीं
7. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा : लागू नहीं
8. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं : लागू नहीं
9. क्या पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यता लागू होगी : लागू नहीं
10. परिवीक्षा की अवधि, यदि हो : लागू नहीं
11. भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत : पदोन्नति द्वारा और ऐसा न हो पाने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
12. पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती किए जाने के मामले में : सहायक निदेशक ग्रेड-I (मुख्यालय) और परियोजना अधिकारी (क्षेत्रीय अधिकारी) के पद पर नियुक्ति के बाद 5 वर्ष की नियमित सेवा करने वाले अधिकारियों में से 1:1 के अनुपात में पदोन्नति  
केंद्र सरकार/केंद्र सरकार के अधीन स्वायत्त निकायों के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा  
क) जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर कार्यरत हों; या  
--जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में रु.9300-34800+5400 (ग्रेड वेतन) या समकक्ष में नियुक्ति के बाद 5 वर्षों की नियमित सेवा की हो या रु. 9300-34800+4800 (ग्रेड वेतन) में नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर 6 वर्ष की सेवा की हो।

ख) जिनके पास निम्नानुसार निर्धारित योग्यता और अनुभव है:

अनिवार्य: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और संस्थान से लोक प्रशासन/समाज कार्य/अर्थशास्त्र/ग्रामीण विकास/एमबीए/पीजीडीएम में स्नातकोत्तर के साथ प्रशासन और स्थापना संबंधी मामलों में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव और कंप्यूटर एवं संबंधित सॉफ्टवेयरों का कार्यसाधक ज्ञान।

प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसमें उसी अथवा किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति के तुरंत पहले धारित अन्य बाह्य संवर्ग(एक्स कैडर) पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल होगी।

प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

- 13 यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है :
- i) अध्यक्ष - अध्यक्ष  
कें.स.क.बो
- ii) कार्यकारी निदेशक -सदस्य  
कें.स.क.बो
- iii) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से एक अधिकारी जो उप सचिव के स्तर से नीचे का न हो -सदस्य

**Staffnews.in**

- 14 किन परिस्थितियों में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा :
- लागू नहीं

#### सहायक निदेशक ग्रेड-I पद के लिए भर्ती नियम

- 1 पद का नाम : सहायक निदेशक ग्रेड-I
- 2 पदों की संख्या : 5 (पांच)\*  
\* कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अंतर आ सकता है
3. वर्गीकरण : ग्रुप 'ए' लिपिकवर्गीय
4. वेतनमान : रु.15600-39100+5400 (ग्रेड वेतन)
5. पद चयनित है या गैर चयनित : चयनित
6. क्या केंद्रीय सेवा नियमावली (पेंशन नियम), 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा के अतिरिक्त वर्ष का लाभ स्वीकार्य है : लागू नहीं
7. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा : 35 वर्ष (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार)

8. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं : 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से लोक प्रशासन/ समाज कार्य/ग्रामीण विकास/ एमबीए/पीजीडीएम/अपराध विज्ञान में स्नातकोत्तर।  
2. पांच वर्ष का अनुभव, जिसमें से तीन वर्ष का पर्यवेक्षण का अनुभव किसी सरकारी कार्यालय/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में प्रशासन और कार्यक्रम कार्यान्वयन (कल्याण कार्यक्रमों) में हो। साथ में कंप्यूटर और अन्य संबंधित सॉफ्टवेयरों का कार्यसाधक ज्ञान।
9. क्या पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यता लागू होगी : लागू नहीं
10. परिवीक्षा की अवधि, यदि हो : पदोन्नति: दो वर्ष एवं  
सीधी भर्ती: दो वर्ष
11. भर्ती का तरीका: सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत : 75% पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा  
25% सीधी भर्ती द्वारा
12. पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण द्वारा भर्ती किए जाने के मामले में : सहायक निदेशक ग्रेड-II से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने उस पद पर नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर 3 वर्ष की सेवा की हो

# Staffnews.in

टिप्पणी: पदोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा संबंधित ग्रेड / पद में निर्धारित पात्रता सेवा के पूरा करने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी।

केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त निकायों एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा

क) जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर कार्यरत हों;

या

जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में रू 9300-34800+4800 (ग्रेड वेतन) या समकक्ष में नियुक्ति के बाद 2 वर्ष की नियमित सेवा की हो

या

जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में रू 9300-34800+4600 (ग्रेड वेतन) या समकक्ष में नियुक्ति के बाद 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो

और

ख) जिनके पास निम्नानुसार निर्धारित योग्यता और अनुभव है:

अनिवार्य: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से लोक प्रशासन/समाज कार्य/अर्थशास्त्र/ग्रामीण विकास/एमबीए/पीजीडीएम में स्नातकोत्तर तथा प्रशासन एवं स्थापना संबंधी मामलों में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव

वांछनीय: जिन उम्मीदवारों की डिग्री समाज कार्य एवं समाज शास्त्र के बजाय अन्य विषयों में हो उनके लिये मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से समाज कार्य/ समाज शास्त्र में डिग्री या डिप्लोमा

प्रतिनियुक्ति की अवधि: सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसमें उसी अथवा किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति के तुरंत पहले धारित अन्य बाह्य संवर्गपद (एक्स कैडर) पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल होगी.

प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

- 13 यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है :
- |  |               |
|--|---------------|
| i) अध्यक्ष   | -अध्यक्ष      |
| ii) कार्यकारी निदेशक   | -सदस्य        |
| iii) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से एक अधिकारी जो उप सचिव के स्तर से नीचे का न हो | -सदस्य        |
| iv) संयुक्त निदेशक (कार्मिक)   | -सहयोजि सदस्य |
- 14 किन परिस्थितियों में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा : लागू नहीं

#### सहायक निदेशक ग्रेड-II पद के लिए भर्ती नियम

- |    |   |   |
|----|---|---|
| 1  | पद का नाम   | : सहायक निदेशक ग्रेड-II                                 |
| 2  | पदों की संख्या  | : 06 (छह)*  |
|    |   | * कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अंतर आ सकता है |
| 3. | वर्गीकरण  | : ग्रुप 'बी' लिपिकवर्गीय                                |
| 4. | वेतनमान   | : रु. 9300-34800+4600 (ग्रेड वेतन)                      |
| 5. | पद चयनित है या गैर चयनित  | : चयनित   |
| 6. | क्या केंद्रीय सेवा नियमावली (पेंशन नियम), 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा के अतिरिक्त वर्ष का लाभ स्वीकार्य है। | : लागू नहीं   |

7. सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा : लागू नहीं
8. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं : लागू नहीं
9. क्या पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यता लागू होगी : लागू नहीं
10. परिवीक्षा की अवधि, यदि हो : लागू नहीं
11. भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत : पदोन्नति द्वारा और ऐसा न हो पाने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
12. पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती किए जाने के मामले में : सहायक पद से पदोन्नति द्वारा, जिन्होंने उस पद पर नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर 5 वर्ष की सेवा की हो।

II) केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त निकायों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा

क) जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर कार्यरत हों या

--जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में रु.9300-34800+4200 (ग्रेड वेतन) या समकक्ष में नियुक्ति के बाद 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो और

ख) जिनके पास निम्नानुसार निर्धारित योग्यता और अनुभव है:

## Staffnews.in

अनिवार्य: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से लोक प्रशासन/समाज कार्य/अर्थशास्त्र/ग्रामीण विकास/एमबीए/पीजीडीएम में स्नातकोत्तर तथा प्रशासन और स्थापना संबंधी मामलों में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव।

वांछनीय: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से समाज कार्य/समाज कल्याण में डिग्री या डिप्लोमा।

प्रतिनियुक्ति की अवधि: सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसमें उसी अथवा किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति के तुरंत पहले धारित अन्य बाह्य संवर्गपद (एक्स कैडर) पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल होगी।

प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

13. यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है :
- i) अध्यक्ष के.स.क.बो. -अध्यक्ष
- ii) कार्यकारी निदेशक के.स.क.बो. -सदस्य
- iii) संयुक्त निदेशक (कार्मिक) -सदस्य
- iv) उपनिदेशक (कार्मिक) -सदस्य

- 14 किन परिस्थितियों में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा : लागू नहीं  
आयोग से परामर्श किया जाएगा

### सहायक पद के लिए भर्ती नियम

- 1 पद का नाम : सहायक
- 2 पदों की संख्या : 20 (बीस)\*  
\* कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अंतर आ सकता है
3. वर्गीकरण : ग्रुप 'बी' लिपिकवर्गीय
4. वेतनमान : रु.9300-34800+4200 (ग्रेड वेतन)
5. पद चयनित है या गैर चयनित : चयनित
6. क्या केंद्रीय सेवा नियमावली (पेंशन नियम), 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा के अतिरिक्त वर्ष का लाभ स्वीकार्य है : लागू नहीं
7. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा : अधिकतम 30 वर्ष  
टिप्पणी: केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।  
टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू- कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान-निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई हो।)
8. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य : अनिवार्य: शैक्षिक योग्यता:  
योग्यताएं  
1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से स्नातक  
2. कंप्यूटर और इससे संबंधित सॉफ्टवेयरों का कार्यसाधक ज्ञान  
वांछनीय: किसी प्रतिष्ठित संगठन में प्रशासन और स्थापना संबंधी मामलों में 3 वर्ष का अनुभव।  
टिप्पणी: अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों के मामलों में अनुभव संबंधी योग्यता में छूट सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधीन है, यदि चयन के किसी भी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव वाले पर्याप्त उम्मीदवार उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगे।

Staffnews.in



9. क्या पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यता लागू होगी : लागू नहीं
10. परिवीक्षा की अवधि, यदि हो : पदोन्नति: दो वर्ष  
सीधी भर्ती: दो वर्ष
11. भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत : सीधी भर्ती द्वारा 33%  
पदोन्नति द्वारा 67% ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा  
टिप्पणी: सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पद के पदधारी प्रतिनियुक्ति पर चले जाने या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या अधिक की अवधि की रिक्ति को कॉलम 12 में दिए गए नियम व शर्तों के अनुसार पात्र उम्मीदवारों से पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जा सकता है।
12. पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण द्वारा भर्ती किए जाने के मामले में : प्रवर श्रेणी लिपिक पद से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने उस पद पर नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर 10 वर्ष की सेवा की हो  
केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त निकायों एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा  
-जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर न्यूनतर पद पर कार्यरत हों; या जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में रु. 5200-20200+2400 (ग्रेड वेतन) या समकक्ष में नियुक्ति के बाद 10 वर्ष की नियमित सेवा की हो; और  
ख). जिनके पास निम्नानुसार निर्धारित योग्यता और अनुभव है:  
अनिवार्य: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक तथा प्रशासन और स्थापना संबंधी मामलों में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव.  
प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसमें उसी अथवा किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति के तुरंत पहले धारित अन्य बाह्य संवर्गपद (एक्स कैडर) पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल होगी.  
प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.  
टिप्पणी: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधित नियमों की अधिसूचना की तिथि को नियमित आधार पर फीडर पद धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए पदोन्नति की पात्रता हेतु सेवा की अवधि यथावत् अर्थात् 5 वर्ष बनी रहेगी.

# Staffnews.in

13	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	:	i) कार्यकारी निदेशक के.स.क.बो.	-अध्यक्ष
		:	ii) संयुक्त निदेशक (कार्मिक)	-सदस्य
		:	iii) उप निदेशक (कार्मिक)	-सदस्य
14	किन परिस्थितियों में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	:	लागू नहीं	

### प्रवर श्रेणी लिपिक पद के लिए भर्ती नियम

1	पद का नाम	:	प्रवर श्रेणी लिपिक
2	पदों की संख्या	:	23 (तेईस)* * कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अंतर हो सकता है
3.	वर्गीकरण	:	ग्रुप 'सी' लिपिकवर्गीय
4.	वेतनमान	:	रु. 5200-20200+2400 (ग्रेड वेतन)
5.	पद चयनित है या गैर चयनित	:	गैर-चयनित
6.	क्या केंद्रीय सेवा नियमावली (पेंशन नियम), 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा के अतिरिक्त वर्ष का लाभ स्वीकार्य है	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	:	अधिकतम 30 वर्ष

**Staffnews.in**

टिप्पणी: केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक की छुट दी जा सकती है।

टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू- कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान-निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई हो।)

8.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	:	अनिवार्य: शैक्षिक अर्हताएं- 1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से स्नातक 2) कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान वांछनीय: किसी प्रतिष्ठित संगठन में प्रशासन तथा स्थापना संबंधी कार्यों का दो वर्ष का अनुभव।
----	--	---	---

टिप्पणी: अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों के मामलों में अनुभव संबंधी योग्यता में छुट सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधीन है, यदि चयन के किसी भी स्तर पर

- सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव वाले पर्याप्त उम्मीदवार उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगे.
9. क्या पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यता लागू होगी : लागू नहीं
10. परिवीक्षा की अवधि, यदि हो : सीधी भर्ती: दो वर्ष
11. भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत : सीधी भर्ती द्वारा 75%  
पदोन्नति द्वारा 25%, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (चूंकि फीडर श्रेणी में पदों यानी एलडीसी की संख्या का मूल्यांकन कर्मचारी निरीक्षण इकाई द्वारा छह किया गया है)  
टिप्पणी: सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पद के पदधारी प्रतिनियुक्ति पर चले जाने या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या अधिक की अवधि की रिक्ति को कॉलम 12 में दिए गए नियम व शर्तों के अनुसार पात्र उम्मीदवारों से पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जा सकता है.
12. पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण द्वारा भर्ती किए जाने के मामले में : अवर श्रेणी लिपिक के पद से पदोन्नति द्वारा, जिन्होंने उस पद पर नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर 8 वर्ष की सेवा की हो  
केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त निकायों एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा  
- जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर कार्यरत हों; या जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में रुपये 5200-20200+1900 (ग्रेड वेतन) या समकक्ष में नियुक्ति के बाद 08 वर्ष की नियमित सेवा की हो, और  
ख) जिनके पास सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता और अनुभव हो  
प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसमें उसी अथवा किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति के तुरंत पहले धारित अन्य बाह्य संवर्गपद (एक्स कैडर) पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल होगी.  
प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.  
टिप्पणी: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधित नियमों की अधिसूचना की तिथि को नियमित आधार पर फीडर पद धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए पदोन्नति की पात्रता हेतु सेवा की अवधि यथावत् अर्थात् 5 वर्ष बनी रहेगी.

**Staffnews.in**

- 13 यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है :
- i) कार्यकारी निदेशक -अध्यक्ष  
के.स.क.बो.
- ii) संयुक्त निदेशक (कार्मिक) -सदस्य
- iii) उप निदेशक (कार्मिक) -सदस्य
- 14 किन परिस्थितियों में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा :
- लागू नहीं

### अवर श्रेणी लिपिक पद के लिए भर्ती नियम

- 1 पद का नाम : अवर श्रेणी लिपिक
- 2 पदों की संख्या : 06 (छह)\*
- \* कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अंतर हो सकता है
3. वर्गीकरण : ग्रुप 'सी' लिपिकवर्गीय
4. वेतनमान : रु. 5200-20200+1900 (ग्रेड वेतन)
5. पद चयनित है या गैर चयनित : लागू नहीं
6. क्या केंद्रीय सेवा नियमावली (पेंशन नियम), 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा के अतिरिक्त वर्ष का लाभ स्वीकार्य है : लागू नहीं
7. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा : अधिकतम 27 वर्ष

**Staffnews.in**

टिप्पणी: विभागीय उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष तक की छुट।

टिप्पणी: केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक की छुट दी जा सकती है।

टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू- कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान-निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई हो।)

8. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं :
- अनिवार्य:
- 1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं पास या समकक्ष शैक्षिक योग्यता, साथ में डीओईएसीसी से 'ओ' लेवल
- 2) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति (समय: 10 मिनट)
- (35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट जो कि 10500 की डिप्रेशन प्रति घंटा/9000 की डिप्रेशन

- प्रति घंटा के अनुरूप हैं, जिसमें प्रति शब्द के लिए औसतन पांच कुंजी दबाना शामिल हैं। )
- वांछनीय: किसी संगठन में एक वर्ष का लिपिकीय/टंकण का अनुभव।
- टिप्पणी: अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों के मामलों में अनुभव संबंधी योग्यता में झूट सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधीन है, यदि चयन के किसी भी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव वाले पर्याप्त उम्मीदवार उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगे।
9. क्या पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यता लागू होगी : हां, कॉलम 11 के अनुसार
10. परिवीक्षा की अवधि, यदि हो : सीधी भर्ती: दो वर्ष
11. भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा/ स्थानान्तरण और विभिन्न तरीकों के माध्यम से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत : सीधी भर्ती द्वारा 85%
- विभागीय अर्हक परीक्षा द्वारा 10% रिक्त पदों को ग्रुप सी स्टाफ में से रूपये 1800 के ग्रेड वेतन पर कार्यरत उन कर्मचारियों में से भरा जाएगा और जिन्होंने 12वीं या समकक्ष शैक्षिक योग्यता प्राप्त की हो और उस श्रेणी में तीन वर्षों की नियमित सेवा की हो।
- परीक्षा की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए यह आयु 50 वर्ष है।)
- 5% रिक्त पद ग्रुप 'सी' के उन कर्मचारियों में से वरिष्ठता एवं फिटनेस आधार पर भरे जाएँगे जिन्होंने रूपये 1800/- के ग्रेड वेतन के पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो।
- टिप्पणी: सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पद के पदधारी प्रतिनियुक्ति पर चले जाने या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या अधिक की अवधि की रिक्ति को कॉलम 12 में दिए गए नियम व शर्तों के अनुसार पात्र उम्मीदवारों से पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जा सकता है।
12. पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती किए जाने के मामले में
- केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त निकायों एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा
- जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर कार्यरत हों; या जो मूल संवर्ग/विभाग में समकक्ष पद धारित किए हुए हों जिनके पास शैक्षिक और अन्य योग्यताएं कॉलम 8 के अनुसार हो
- प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से

Staffnews.in

- अधिक नहीं होगी जिसमें उसी अथवा किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति के तुरंत पहले धारित अन्य बाह्य संवर्गपद (एक्स कैडर) पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल होगी।
- प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 13 यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है :
- i) कार्यकारी निदेशक -अध्यक्ष के.स.क.बो.
- ii) संयुक्त निदेशक -सदस्य (कार्मिक)
- iii) उप निदेशक -सदस्य (कार्मिक)
- 14 किन परिस्थितियों में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा :
- लागू नहीं

#### वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी पद के लिए भर्ती नियम

- 1 पद का नाम : वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी
- 2 पदों की संख्या : 01 (एक)\*
3. वर्गीकरण : ग्रुप 'ए' गैर-लिपिकवर्गीय
4. वेतनमान : रु.15600-39100+6600 (ग्रेड वेतन)
5. पद चयनित है या गैर चयनित : लागू नहीं
6. क्या केंद्रीय सेवा नियमावली (पेंशन नियम), 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा के अतिरिक्त वर्ष का लाभ स्वीकार्य है : लागू नहीं
7. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा : 40 वर्ष (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार)

टिप्पणी: केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक की छुट्टी दी जा सकती है।

टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू- कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान-निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई हो।)

**Staffnews.in**

8. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं : अनिवार्यः
1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सांख्यिकी/गणित या सांख्यिकी के विषय के साथ अर्थशास्त्र में निष्णात उपाधि (मास्टर डिग्री) या कंप्यूटर एप्लीकेशन/कंप्यूटर विज्ञान में निष्णात उपाधि (मास्टर डिग्री) या कंप्यूटर विज्ञान में बी. टेक / इंजीनियरिंग और
  2. सामाजिक अनुसंधान या सामाजिक नियोजन या समाज कार्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण या समाज कल्याण और विकास के क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव
9. क्या पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यता लागू होगी : सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता ही पदोन्नति के मामले में लागू है। पदोन्नति के मामले में आयु में छूट दी जा सकती है
10. परिवीक्षा की अवधि, यदि हो : सीधी भर्ती: दो वर्ष
11. भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत : पदोन्नति द्वारा और ऐसा न हो पाने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन दोनों के न होने पर सीधी भर्ती
12. पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती किए जाने के मामले में : अनुसंधान अधिकारी के पद से पदोन्नति द्वारा, जिन्होंने इस पद पर नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर 5 वर्ष की सेवा की हो।

## Staffnews.in

केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त निकायों एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा

- जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर कार्यरत हों; या

-जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में रु 9300-34800+5400 (ग्रेड वेतन) या समकक्ष में नियुक्ति के बाद 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो या मूल संवर्ग/विभाग में रु 9300-34800+4800 (ग्रेड वेतन) या समकक्ष में नियुक्ति के पश्चात् 6 वर्ष की नियमित सेवा की हो या मूल संवर्ग/विभाग में रु 9300-34800+4600 (ग्रेड वेतन) या समकक्ष में नियुक्ति के पश्चात् 7 वर्ष की नियमित सेवा की हो; और

ख). जिनके पास निम्नानुसार निर्धारित योग्यता और अनुभव है:

अनिवार्य

- 1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सांख्यिकी/गणित या सांख्यिकी के विषय के साथ अर्थशास्त्र में निष्णात उपाधि (मास्टर डिग्री) या कंप्यूटर एप्लीकेशन/कंप्यूटर विज्ञान में निष्णात उपाधि (मास्टर डिग्री) या कंप्यूटर विज्ञान में बी. टेक / इंजीनियरिंग

- 2) सामाजिक अनुसंधान या सामाजिक नियोजन या समाज कार्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण या समाज कल्याण और विकास के क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव
- प्रतिनियुक्ति की अवधि: सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसमें उसी अथवा किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति के तुरंत पहले धारित अन्य बाह्य संवर्गपद (एक्स कैडर) पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल होगी.
- प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- 13 यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है :
- i) अध्यक्ष के.स.क.बो. -अध्यक्ष
- ii) कार्यकारी निदेशक -सदस्य के.स.क.बो.
- iii) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से एक अधिकारी जो उप सचिव के स्तर से नीचे का न हो -सदस्य
- iv) संयुक्त निदेशक (कार्मिक) -सहयोजित सदस्य
- 14 किन परिस्थितियों में भर्ती के लिए सर्व लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा :
- लागू नहीं

**Staffnews.in**

#### अनुसंधान अधिकारी पद के लिए भर्ती नियम

- 1 पद का नाम : अनुसंधान अधिकारी
- 2 पदों की संख्या : 01 (एक)\*
- \* कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अंतर आ सकता है
3. वर्गीकरण : ग्रुप 'ए' गैर-लिपिकवर्गीय
4. वेतनमान : रु.9300-34800+5400 (ग्रेड वेतन)
5. पद चयनित है या गैर चयनित : लागू नहीं
6. क्या केंद्रीय सेवा नियमावली (पेंशन नियम), 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा के अतिरिक्त वर्ष का लाभ स्वीकार्य है : लागू नहीं
7. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा : 35 वर्ष (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार)
- टिप्पणी: केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक की छूट दी जा सकती है



टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू- कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान-निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई हो।)

8. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं : अनिवार्य:
1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सांख्यिकी/गणित या सांख्यिकी के विषय के साथ अर्थशास्त्र में निष्णात उपाधि (मास्टर डिग्री)/ एमसीए/कंप्यूटर विज्ञान में बी. टेक एवं इंजीनियरिंग
  2. सामाजिक अनुसंधान या सामाजिक नियोजन या समाज कार्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण या समाज कल्याण और विकास के क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव
9. क्या पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यता लागू होगी : लागू नहीं
10. परीक्षा की अवधि, यदि हो : सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष
11. भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती के लिए प्रतियोगिता या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीका से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत : सीधी भर्ती द्वारा, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
12. पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती किए जाने के मामले में : प्रतिनियुक्ति द्वारा केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त निकायों एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा
- जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर कार्यरत हों; या
- जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में रु 9300-34800+4800 (ग्रेड वेतन) या समकक्ष में नियुक्ति के बाद संबंधित श्रेणी में 2 वर्ष की नियमित सेवा की हो
- या
- मूल संवर्ग/विभाग में रु 9300-34800+4600 (ग्रेड वेतन) या समकक्ष में नियुक्ति के बाद संबंधित श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो और
- ख). जिनके पास निम्नानुसार निर्धारित योग्यता और अनुभव है:
- अनिवार्य: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सांख्यिकी/गणित या सांख्यिकी के विषय के साथ अर्थशास्त्र में निष्णात उपाधि (मास्टर डिग्री)/ एमसीए/ कंप्यूटर विज्ञान में बी. टेक एवं इंजीनियरिंग

- वांछनीय: सामाजिक अनुसंधान या सामाजिक योजना या समाज कार्य शिक्षा या प्रशिक्षण या समाज कल्याण और विकास के क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव
- प्रतिनियुक्ति की अवधि: सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसमें उसी अथवा किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति के तुरंत पहले धारित अन्य बाह्य संवर्गपद (एक्स कैडर) पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल होगी।
- प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 13 यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है :
- i) अध्यक्ष -अध्यक्ष  
के.स.क.बो.
- ii) कार्यकारी निदेशक -सदस्य  
के.स.क.बो.
- iii) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से एक अधिकारी जो उप सचिव के स्तर से नीचे का न हो
- iv) संयुक्त निदेशक (कार्मिक) -सहयोजित सदस्य
- v) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (केंसकबो) -सदस्य
- 14 किन परिस्थितियों में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा : लागू नहीं

# Staffnews.in

### संपादक पद के लिए भर्ती नियम

- 1 पद का नाम : संपादक
- 2 पदों की संख्या : 1 (एक)\*  
\*कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अंतर हो सकता है
- 3 वर्गीकरण : ग्रुप 'ए' गैर-लिपिकवर्गीय
- 4 वेतनमान : रु.15600-39100+6600 (ग्रेड वेतन)
- 5 पद चयनित है या गैर चयनित : लागू नहीं
- 6 क्या केंद्रीय सेवा नियमावली (पेंशन नियम), 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा के अतिरिक्त वर्ष का लाभ स्वीकार्य है। : लागू नहीं
- 7 सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा : 40 वर्ष (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार)

- टिप्पणी: केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।
- टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान-निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई हो।)
8. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं : अनिवार्य: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पत्रकारिता/जनसंचार में निष्णात उपाधि (मास्टर डिग्री) तथा स्नातक स्तर पर अंग्रेजी और हिंदी मुख्य विषय के रूप में हो। किसी प्रतिष्ठित पत्रिका/समाचार पत्र में पत्रकारिता का 5 वर्ष का अनुभव।
9. क्या पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यता लागू होंगी : लागू नहीं
10. परीक्षा की अवधि, यदि हो : सीधी भर्ती: एक वर्ष
11. भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा/संचार पत्रकारिता के माध्यम से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत : प्रतिनियुक्ति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा (सहायक संपादक का फीडर श्रेणी पद कर्मचारी निरक्षर इकाई द्वारा अनुशंसित नहीं किया गया)
12. पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा भर्ती किए जाने के मामले में : केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त निकायों एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा
- जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर कार्यरत हों; या
- जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में रु 9300-34800+5400 (ग्रेड वेतन) या समकक्ष में नियुक्ति के बाद 05 वर्ष की नियमित सेवा की हो; या
- जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में रु 9300-34800+4800 (ग्रेड वेतन) या समकक्ष में नियुक्ति के बाद 06 वर्ष की नियमित सेवा की हो; या
- जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में रु 9300-34800+4600 (ग्रेड वेतन) या समकक्ष में नियुक्ति के बाद 07 वर्ष की नियमित सेवा की हो; और
- ख). जिनके पास निम्नानुसार निर्धारित योग्यता और अनुभव है:
- अनिवार्य: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पत्रकारिता/जनसंचार में निष्णात उपाधि (मास्टर डिग्री) तथा स्नातक स्तर पर अंग्रेजी और हिंदी मुख्य विषय के रूप में हो। किसी प्रतिष्ठित पत्रिका/समाचार पत्र में पत्रकारिता का 5 वर्ष का

- अनुभव.
- प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसमें उसी अथवा किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति के तुरंत पहले धारित अन्य बाह्य संवर्गपद (एक्स कैडर) पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल होगी.
- प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.
13. यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है :
- i) अध्यक्ष -अध्यक्ष  
के.स.क.बो.
- ii) कार्यकारी निदेशक -अध्यक्ष
- iii) महिला बाल विकास मंत्रालय से एक अधिकारी जो उप सचिव के स्तर से नीचे का न हो
- iv) संयुक्त निदेशक (मीडिया) -सहयोजित सदस्य
14. किन परिस्थितियों में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा : लागू नहीं

## Staffnews in

हिंदी पत्रिका में सहायक निदेशक (राजभाषा) पदों के लिए भर्ती नियम

1. पद का नाम : सहायक निदेशक (राजभाषा) #
2. पदों की संख्या : 1 (एक)\*
- \*कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अंतर हो सकता है
3. वर्गीकरण : ग्रुप 'ए' गैर-लिपिकवर्गीय
4. वेतनमान : रु.15600-39100+5400 (ग्रेड वेतन)
5. पद चयनित है या गैर चयनित : चयनित
6. क्या केंद्रीय सेवा नियमावली (पेंशन नियम), 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा के अतिरिक्त वर्ष का लाभ स्वीकार्य है : लागू नहीं
7. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा : अधिकतम 35 वर्ष

टिप्पणी: केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक की छुट दी जा सकती है।

टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड,

त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू- कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान-निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई हो।)

8. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में निष्णात उपाधि (मास्टर डिग्री) तथा डिग्री स्तर पर अंग्रेजी, अनिवार्य या इलेक्टिव विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में निष्णात उपाधि (मास्टर डिग्री) तथा डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या इलेक्टिव विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के बजाय किसी अन्य विषय में निष्णात उपाधि (मास्टर डिग्री) हिंदी माध्यम से तथा डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या इलेक्टिव विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के बजाय किसी अन्य विषय में निष्णात उपाधि (मास्टर डिग्री) अंग्रेजी माध्यम से तथा डिग्री स्तर पर हिंदी एक अनिवार्य या इलेक्टिव विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के बजाय किसी अन्य विषय में निष्णात उपाधि (मास्टर डिग्री) तथा डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या इलेक्टिव विषय के रूप में या इन दोनों में से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरा अनिवार्य या इलेक्टिव विषय के रूप में

(ii) केंद्र/राज्य सरकार/स्वायत्त निकाय/ सांविधिक संगठन/सार्वजनिक उपक्रम/विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थान में हिंदी में शब्दावली के प्रयोग और प्रमुखतः तकनीकी एवं वैज्ञानिक साहित्य में अंग्रेजी से हिंदी एवं विपरीत अनुवाद में कार्य करने का तीन वर्ष का अनुभव

या

केंद्र/राज्य सरकार/स्वायत्त निकाय/सांविधिक संगठन/ सार्वजनिक उपक्रम/ विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान एवं शैक्षिक संस्थान के अंतर्गत हिंदी एवं अंग्रेजी में शिक्षण या हिंदी या अंग्रेजी में अनुसंधान का तीन वर्ष का अनुभव।

**Staffnews.in**

9. क्या पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यता लागू होगी : लागू नहीं
10. परिवीक्षा की अवधि, यदि हो : सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के लिए एक वर्ष
11. भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा/ स्थानांतरण और विभिन्न तरीकों के माध्यम से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत : पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा
12. पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण द्वारा भर्ती किए जाने के मामले में : वरिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद से पदोन्नति, जिन्होंने इस पद पर नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर 3 वर्ष की सेवा की हो  
केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त निकायों एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा  
-जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर कार्यरत हों; या  
-जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में रूपये 9300-34800+4600 (ग्रेड वेतन) या समकक्ष में नियुक्ति के बाद 03 वर्ष की नियमित सेवा की हो और  
ख) जिनके पास सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता और अनुभव हो  
प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसमें उसी अथवा किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति के तुरंत पहले धारित अन्य पद पर (एक्स कैडर) पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल होगी।  
प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है। : i) अध्यक्ष -अध्यक्ष के.स.क.बो.  
: ii) कार्यकारी निदेशक -सदस्य के.स.क.बो.  
: iii) महिला बाल विकास मंत्रालय से एक अधिकारी जो उप सचिव के स्तर से नीचे का न हो  
: iv) संयुक्त निदेशक (कार्मिक) -सहयोजित सदस्य
14. किन परिस्थितियों में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा : लागू नहीं

# टिप्पणी: - डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन सं. AB-14017/46/2011-स्था. (RR) दिनांक 19.09.2013 द्वारा परिचालित मॉडल आरआर के अनुसार।

## वरिष्ठ हिंदी अनुवादक पद के लिए भर्ती नियम

- |    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 1  | पद का नाम   | : | वरिष्ठ हिंदी अनुवादक #   |
| 2  | पदों की संख्या  | : | 1 (एक)*<br>*कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अंतर हो सकता है   |
| 3. | वर्गीकरण  | : | ग्रुप 'बी' गैर-लिपिकवर्गीय   |
| 4. | वेतनमान   | : | रु.9300-34800+4600 (ग्रेड वेतन)  |
| 5. | पद चयनित है या गैर चयनित  | : | चयनित  |
| 6. | क्या केंद्रीय सेवा नियमावली (पेंशन नियम), 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा के अतिरिक्त वर्ष का लाभ स्वीकार्य है। | : | लागू नहीं  |
| 7. | सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा  | : | अधिकतम 30 वर्ष<br>टिप्पणी: केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।<br>टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिक्मि, जम्मू- कश्मीर राज्य के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान-निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई हो।)  |
| 8. | सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं  | : | (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में निष्णात उपाधि (मास्टर डिग्री) तथा डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या इलेक्टिव विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में<br>या<br>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में निष्णात उपाधि (मास्टर डिग्री) तथा डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या इलेक्टिव विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में<br>या<br>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के बजाय किसी अन्य विषय में निष्णात उपाधि (मास्टर डिग्री) हिंदी माध्यम से तथा डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या इलेक्टिव विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में<br>या<br>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के बजाय किसी अन्य विषय में निष्णात उपाधि (मास्टर डिग्री) अंग्रेजी माध्यम से तथा डिग्री |

**Staffnews.in**

स्तर पर हिंदी एक अनिवार्य या इलेक्टिव विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के बजाय किसी अन्य विषय में निष्णात उपाधि (मास्टर डिग्री) तथा डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या इलेक्टिव विषय के रूप में या इन दोनों में से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरा अनिवार्य या इलेक्टिव विषय के रूप में

और

हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद का मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम या केंद्र या राज्य सरकार के कार्यालय/स्वायत्त निकाय/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/भारत सरकार के उपक्रम में हिंदी से अंग्रेजी और विपरीत अनुवाद करने का 3 वर्ष का अनुभव

9. क्या पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यता लागू होगी : लागू नहीं
10. परीक्षा की अवधि, यदि हो : सीधी भर्ती-दो वर्ष
11. भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा/स्थानांतरण और विभिन्न तरीकों के माध्यम से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत : पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा
12. पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण द्वारा भर्ती किए जाने के मामले में : कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद से पदोन्नति द्वारा, जिन्होंने इस पद पर नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर 5 वर्ष की सेवा की हो

केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त निकायों एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा

- जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर कार्यरत हों; या

- जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में रु 9300-34800+4200 (ग्रेड वेतन) या समकक्ष में नियुक्ति के बाद 05 वर्षों की नियमित सेवा की हो; और

ख). जिनके पास सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता और अनुभव हो

प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसमें उसी अथवा किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति के तुरंत पहले धारित अन्य बाह्य संवर्गपद (एक्स कैडर) पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल होगी।

प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।



- 13 यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है। :
- i) अध्यक्ष -अध्यक्ष  
के.स.क.बो.
- ii) कार्यकारी निदेशक -सदस्य  
के.स.क.बो.
- iii) संयुक्त निदेशक (कार्मिक) -सदस्य
- iv) संपादक -सदस्य
- 14 किन परिस्थितियों में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा : लागू नहीं

# टिप्पणी:- डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन सं. AB-14017/46/2011-स्था. (RR) दिनांक 19.09.2013 द्वारा परिचालित मॉडल आरआर के अनुसार।

### कनिष्ठ हिंदी अनुवादक पद के लिए भर्ती नियम

- 1 पद का नाम : कनिष्ठ हिंदी अनुवादक #
- 2 पदों की संख्या : 1 (एक)\*
- \*कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अंतर हो सकता है
- 3 वर्गीकरण : ग्रुप 'बी' में निपिकवर्गीय
- 4 वेतनमान : रु.9300-34800+4200 (ग्रेड वेतन)
- 5 पद चयनित है या गैर चयनित : लागू नहीं
- 6 क्या केंद्रीय सेवा नियमावली (पेंशन नियम), 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा के अतिरिक्त वर्ष का लाभ स्वीकार्य है : लागू नहीं
- 7 सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा : अधिकतम 30 वर्ष (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार)

टिप्पणी: केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक की छुट दी जा सकती है.

टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू- कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान-निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई हो।)

8. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में निष्णात उपाधि (मास्टर डिग्री) तथा डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या इलेक्टिव विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में
- या
- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में निष्णात उपाधि (मास्टर डिग्री) तथा डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या इलेक्टिव विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में
- या
- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के बजाय किसी अन्य विषय में निष्णात उपाधि (मास्टर डिग्री) हिंदी माध्यम से तथा डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या इलेक्टिव विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में
- या
- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के बजाय किसी अन्य विषय में निष्णात उपाधि (मास्टर डिग्री) हिंदी माध्यम से तथा डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या इलेक्टिव विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में
- या
- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के बजाय किसी अन्य विषय में निष्णात उपाधि (मास्टर डिग्री) तथा डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या इलेक्टिव विषय के रूप में या इन दोनों में से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरा अनिवार्य या इलेक्टिव विषय के रूप में
- और
- हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद का मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम या केंद्र या राज्य सरकार के कार्यालय/स्वायत्त निकाय/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/भारत सरकार के उपक्रम में हिंदी से अंग्रेजी और विपरीत अनुवाद करने का दो वर्ष का अनुभव
- टिप्पणी: अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों के मामलों में अनुभव संबंधी योग्यता में छूट सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधीन है, यदि चयन के किसी भी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव वाले पर्याप्त उम्मीदवार उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगे।
9. क्या पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यता लागू होगी : लागू नहीं

Staffnews.in

10. परिवीक्षा की अवधि, यदि हो : दो वर्ष
11. भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत : सीधी भर्ती  
टिप्पणी: सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पद के पदधारी प्रतिनियुक्ति पर चले जाने या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या अधिक की अवधि की रिक्ति को कॉलम 12 में दिए गए नियम व शर्तों के अनुसार प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जा सकता है।
12. पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण द्वारा भर्ती किए जाने के मामले में : केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त निकायों एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा  
- जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर कार्यरत हों; या  
-जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में रू 5200-20200+2400 (ग्रेड वेतन) या समकक्ष में नियुक्ति के बाद 10 वर्ष की नियमित सेवा की हो; और  
ख). जिनके पास सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता और अनुभव हो।  
प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसमें उसी अथवा किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति के तुरंत पहले धारित अन्य ग्रेड संवर्ग/विभाग (एक्स कैडर) पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल होगी।  
प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है : i) कार्यकारी निदेशक -अध्यक्ष  
के.स.क.बो.  
: ii) संयुक्त निदेशक -सदस्य  
(कार्मिक)  
: iii) संपादक -सदस्य
14. किन परिस्थितियों में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा : लागू नहीं

# टिप्पणी: - डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन सं. AB-14017/46/2011-स्था. (RR) दिनांक 19.09.2013 द्वारा परिचालित मॉडल आरआर के अनुसार।

## अध्यक्ष के वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक पद के लिए भर्ती नियम

1.	पद का नाम	:	अध्यक्ष के वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक
2.	पदों की संख्या	:	01 ( एक)* * कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अंतर हो सकता है
3.	वर्गीकरण	:	ग्रुप 'बी' लिपिकवर्गीय
4.	वेतनमान	:	रु.9300-34800+4600 (ग्रेड वेतन)
5.	पद चयनित है या गैर चयनित	:	चयनित
6.	क्या केंद्रीय सेवा नियमावली (पेंशन नियम), 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा के अतिरिक्त वर्ष का लाभ स्वीकार्य है।	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
8.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	:	लागू नहीं
9.	क्या पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यता लागू होगी	:	लागू नहीं
10.	परिचीक्षा की अवधि, यदि हो	:	लागू नहीं
11.	भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा और निम्न तरीकों भरे जाने वाले पदों का प्राधान्य	:	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पाने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती किए जाने के मामले में	:	आशुलिपिक ग्रेड 'सी' के पद से पदोन्नति द्वारा, जिन्होंने इस पद पर नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर 5 वर्ष की सेवा की हो केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त निकायों एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा -जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर कार्यरत हों; या -जिन्होंने रु 9300-34800+4200 (ग्रेड वेतन) में नियुक्ति के बाद संबंधित ग्रेड में 05 वर्ष की नियमित सेवा की हो; ख) जिनके पास निम्नानुसार निर्धारित योग्यता और अनुभव है: - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक तथा डीओईएसीसी से 'ओ' लेवल प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसमें उसी अथवा किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति के तुरंत पहले धारित अन्य बाह्य संवर्गपद (एक्स कैडर) पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल होगी।

**Staffnews.in**

			प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	: i) अध्यक्ष के.स.क.बो. -अध्यक्ष : ii) कार्यकारी निदेशक -सदस्य के.स.क.बो. : iii) संयुक्त निदेशक (कार्मिक) -सदस्य : iv) उप निदेशक (कार्मिक) -सदस्य	
14	किन परिस्थितियों में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	:	लागू नहीं

### आशुलिपिक ग्रेड-'सी' पद के लिए भर्ती नियम

1	पद का नाम	आशुलिपिक ग्रेड 'सी'
2	पदों की संख्या	04 (चार)* * कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अंतर हो सकता है
3.	वर्गीकरण	ग्रुप 'बी' लिपिकवर्गीय
4.	वेतनमान	₹ 3700-4100+4200 (ग्रेड वेतन)
5.	पद चयनित है या गैर चयनित	चयनित
6.	क्या केंद्रीय सेवा नियमावली (पेंशन नियम), 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा के अतिरिक्त वर्ष का लाभ स्वीकार्य है।	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	30 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक तथा डीओईएसीसी से 'ओ' लेवल 2. आशुलिपि में 3 वर्ष का अनुभव 3. आशुलिपि में 10 मिनट में 100 शब्द प्रति मिनट की गति. ट्रान्सक्राइब: 40 मिनट (अंग्रेजी) या 55 मिनट (हिंदी).
9.	क्या पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यता लागू होगी	नहीं
10.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो	पदोन्नति: दो वर्ष सीधी भर्ती: दो वर्ष
11.	भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	पदोन्नति द्वारा 67%, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा सीधी भर्ती द्वारा 33%

12. पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा भर्ती किए जाने के मामले में
- आशुलिपिक ग्रेड 'डी' के पद से पदोन्नति द्वारा, जिन्होंने उस पद पर नियुक्ति के बाद 10 वर्ष की सेवा की हो
- केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त निकायों एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा
- जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर कार्यरत हों; या
- जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में रू 5200-20200+2800 (ग्रेड वेतन) या समकक्ष में नियुक्ति के बाद 06 वर्ष की नियमित सेवा की हो; या
- जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में रूपये 5200-20200+2400 (ग्रेड वेतन) या समकक्ष में नियुक्ति के बाद 10 वर्ष की नियमित सेवा की हो; और
- ख). जिनके पास निम्नानुसार निर्धारित योग्यता और अनुभव है:
- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक तथा डीओईएसीसी से 'ओ' लेवल
- प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसमें उसी अथवा किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति के तुरंत पहले धारित अन्य बाह्य संवर्गपद (एक्स कैडर) पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल होगी.
- प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा अर्द्धसदस्य होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- टिप्पणी: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधित नियमों की अधिसूचना की तिथि को नियमित आधार पर फीडर पद धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए पदोन्नति की पात्रता हेतु सेवा की अवधि यथावत् अर्थात् 5 वर्ष बनी रहेगी.
13. यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है
- i) कार्यकारी निदेशक -अध्यक्ष  
के.स.क.बो.
- ii) संयुक्त निदेशक -सदस्य  
(कार्मिक)
- iii) उप निदेशक (कार्मिक) -सदस्य
14. किन परिस्थितियों में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
- लागू नहीं

### आशुलिपिक ग्रेड-डी पद के लिए भर्ती नियम

1	पद का नाम	:	आशुलिपिक ग्रेड डी
2	पदों की संख्या	:	07 (सात)*
			कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अंतर हो सकता है

3. वर्गीकरण : ग्रुप 'सी' लिपिकवर्गीय
4. वेतनमान : रु.5200-20200+2400 (ग्रेड वेतन)
5. पद चयनित है या गैर चयनित : लागू नहीं
6. क्या केंद्रीय सेवा नियमावली (पेंशन नियम), 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा के अतिरिक्त वर्ष का लाभ स्वीकार्य है। : लागू नहीं
7. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा : अधिकतम 27 वर्ष  
 टिप्पणी: केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक की छूट दी जा सकती है  
 टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू- कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान-निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई हो।)
8. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं : अनिवार्य  
 1. किमी. गण्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक तथा 3 ओईएसीसी से 'ओ' लेवल  
 2. आशुलिपि में 10 मिनट में 80 शब्द प्रति मिनट की गति।  
 ट्रान्सक्राइब: 50 मिनट (अंग्रेजी) या 65 मिनट (हिंदी)  
 कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति  
 (35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट जो कि 10500 की डिप्रेशन प्रति घंटा/9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के अनुरूप हैं, जिसमें प्रति शब्द के लिए औसतन पांच कुंजी दबाना शामिल है। )
9. क्या पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यता लागू होगी : लागू नहीं
10. परिवीक्षा की अवधि, यदि हो : दो वर्ष
11. भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत : सीधी भर्ती द्वारा  
 टिप्पणी: सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पद के पदधारी के स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति पर चले जाने या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या अधिक की अवधि की रिक्ति को कॉलम 12 में दिए गए नियम व शर्तों के अनुसार प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जा सकता है

**Staffnews.in**

12. पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा भर्ती किए जाने के मामले में : केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त निकायों एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा  
-जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर कार्यरत हों; या  
-जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में रु 5200-20200+1900 (ग्रेड वेतन) या समकक्ष में नियुक्ति के बाद 08 वर्ष की नियमित सेवा की हो; और  
ख). जिनके पास सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता और अनुभव हो।  
प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसमें उसी अथवा किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति के तुरंत पहले धारित अन्य बाह्य संवर्गपद (एक्स कैडर) पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल होगी  
प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए
13. यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है : i) कार्यकारी निदेशक -अध्यक्ष के.स.क.बो.  
: ii) संयुक्त निदेशक (कार्मिक) -सदस्य  
: iii) उप निदेशक (कार्मिक) -सदस्य
14. किन परिस्थितियों में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा : लागू नहीं

# Staffnews.in

### आंतरिक वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी पद के लिए भर्ती नियम

- |    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 1  | पद का नाम  | : | आंतरिक वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी                         |
| 2  | पदों की संख्या   | : | 01 (एक)*<br>* कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अंतर आ सकता है |
| 3. | वर्गीकरण   | : | ग्रुप 'ए' लिपिकवर्गीय   |
| 4. | वेतनमान  | : | रु. 15600-39100+6600 (ग्रेड वेतन)                                   |
| 5. | पद चयनित है या गैर चयनित   | : | चयनित   |
| 6. | क्या केंद्रीय सेवा नियमावली (पेंशन नियम), 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा के अतिरिक्त वर्ष का लाभ स्वीकार्य है | : | लागू नहीं   |
| 7. | सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा   | : | लागू नहीं   |
| 8. | सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं  | : | लागू नहीं   |



9. क्या पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यता लागू होगी : लागू नहीं
10. परिवीक्षा की अवधि, यदि हो : लागू नहीं
11. भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत : भारत सरकार द्वारा केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के परामर्श से केंद्र सरकार के संगठित लेखा एवं लेखापरीक्षा सेवा के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति की जाएगी
12. पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा भर्ती किए जाने के मामले में : लागू नहीं
13. यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है : लागू नहीं
14. किन परिस्थितियों में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा : लागू नहीं

#### वेतन एवं लेखा अधिकारी पद के लिए भर्ती नियम

1. पद का नाम : वेतन एवं लेखा अधिकारी
2. पदों की संख्या : 01 (एक)\*  
\* कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अंतर आ सकता है
3. वर्गीकरण : प्र. ए. टि. पि. द्वितीय
4. वेतनमान : केंद्र सरकार के संगठित एवं लेखापरीक्षा सेवा के लेखा अधिकारी के समकक्ष
5. पद चयनित है या गैर चयनित : लागू नहीं
6. क्या केंद्रीय सेवा नियमावली (पेंशन नियम), 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा के अतिरिक्त वर्ष का लाभ स्वीकार्य है : लागू नहीं
7. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा : लागू नहीं
8. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं : लागू नहीं
9. क्या पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यता लागू होगी : लागू नहीं
10. परिवीक्षा की अवधि, यदि हो : लागू नहीं
11. भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत : प्रतिनियुक्ति द्वारा
12. पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा भर्ती किए जाने के मामले में : केंद्र सरकार के संगठित लेखा एवं लेखापरीक्षा सेवा के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर कार्यरत हों; या

# Staffnews.in

--जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में रु.9300-34800+4600 (ग्रेड वेतन) या समकक्ष में नियुक्ति के बाद 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो;

प्रतिनियुक्ति की अवधि: सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसमें उसी अथवा किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति के तुरंत पहले धारित अन्य बाह्य संवर्गपद (एक्स कैडर) पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल होगी।

प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

- 13 यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है :
- |      |                             |          |
|------|-----------------------------|----------|
| i)   | अध्यक्ष के.स.क.बो.          | -अध्यक्ष |
| ii)  | कार्यकारी निदेशक के.स.क.बो. | -सदस्य   |
| iii) | संयुक्त निदेशक(कार्मिक)     | -सदस्य   |
| iv)  | आं.वि.स एवं मु.ले.अ.        | -सदस्य   |

- 14 किन परिस्थितियों में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा लागू नहीं

## Staffnews.in

लेखाकार पद के लिए भर्ती नियम

- |    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| 1  | पद का नाम  | : | लेखाकार  |
| 2  | पदों की संख्या   | : | 02 (दो)*   |
|    |  |   | * कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अंतर आ सकता है      |
| 3. | वर्गीकरण   | : | ग्रुप 'बी' लिपिकवर्गीय                                       |
| 4. | वेतनमान  | : | रु.9300-34800+4200 (ग्रेड वेतन)                              |
| 5. | पद चयनित है या गैर चयनित   | : | लागू नहीं  |
| 6. | क्या केंद्रीय सेवा नियमावली (पेंशन नियम), 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा के अतिरिक्त वर्ष का लाभ स्वीकार्य है | : | लागू नहीं  |
| 7. | सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा   | : | 30 वर्ष (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों अनुसार) |

टिप्पणी: केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।

टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,

- मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान-निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई हो।)
8. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं : 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में उपाधि (डिग्री)  
2. कंप्यूटर पर लेखा संबंधी कार्य का तीन वर्ष का अनुभव
9. क्या पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यता लागू होगी : लागू नहीं
10. परिवीक्षा की अवधि, यदि हो : दो वर्ष
11. भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों के माध्यम से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत : सीधी भर्ती, ऐसा न हो पाने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा  
टिप्पणी: सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पद के पदधारी के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति पर चले जाने या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या अधिक की अवधि की रिक्ति को कॉलम 12 में दिए गए नियम व शर्तों के अनुसार प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जा सकता है।
12. पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण द्वारा भर्ती किए जाने के मामले में : केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त निकायों एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा  
तो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर कार्यरत हों; या  
--जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में रु. 5200-20200+2400 (ग्रेड वेतन) या समकक्ष में नियुक्ति के बाद 10 वर्ष की नियमित सेवा की हो  
(ख) जिनके पास निम्नानुसार निर्धारित योग्यता और अनुभव है:  
प्रतिनियुक्ति की अवधि: सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसमें उसी अथवा किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति के तुरंत पहले धारित अन्य बाह्य संवर्गपद (एक्स कैडर) पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल होगी।  
प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है : i) कार्यकारी निदेशक -अध्यक्ष  
के.स.क.बो.  
ii) संयुक्त निदेशक(कार्मिक) -सदस्य  
iii) आ.वि.स एवं मु.ले.अ. -सदस्य

# Staffnews.in

14. किन परिस्थितियों में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा : लागू नहीं  
आयोग से परामर्श किया जाएगा

### स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड-II पद के लिए भर्ती नियम

- |     |  |   |  |
|-----|--|---|--|
| 1.  | पद का नाम  | : | स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड-II   |
| 2.  | पदों की संख्या   | : | 1 (एक)*  |
|     |  |   | * कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अंतर हो सकता है   |
| 3.  | वर्गीकरण   | : | ग्रुप 'सी' गैर-लिपिकवर्गीय   |
| 4.  | वेतनमान  | : | रु.5200-20200+2800 (ग्रेड वेतन)  |
| 5.  | पद चयनित है या गैर चयनित   | : | लागू नहीं  |
| 6.  | क्या केंद्रीय सेवा नियमावली (पेंशन नियम), 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा के अतिरिक्त वर्ष का लाभ स्वीकार्य है।                                | : | लागू नहीं  |
| 7.  | सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा   | : | लागू नहीं  |
| 8.  | सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं   | : | लागू नहीं  |
| 9.  | क्या पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यता लागू होगी   | : | लागू नहीं  |
| 10. | परिवीक्षा की अवधि  | : | लागू नहीं  |
| 11. | भर्ती का तरीका, सीधा भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा/ स्थानांतरण और विभिन्न तरीकों के माध्यम से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत | : | प्रतिनियुक्ति /पदोन्नति द्वारा (कंपोजिट विधि)  |
| 12. | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण द्वारा भर्ती किए जाने के मामले में   | : | स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड-II से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने उस पद पर नियुक्ति के बाद 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो |

**Staffnews.in**

टिप्पणी:-पदोन्नति की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए जरूरी अभिलेखों (रिकॉर्डों) का मूल्यांकन करने के अलावा ड्राइविंग कौशल, सामान्य खराबियों को ठीक करने की क्षमता और यातायात के नियमों की जानकारी का आकलन करने के लिए प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी

केंद्र सरकार के कार्यालयों/ राज्य सरकार/ स्वायत्त निकायों एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों के कार्यालयों से प्रतिनियुक्ति द्वारा

-जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर कार्यरत हों; या

जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में रु 5200-20200+2400 (ग्रेड वेतन) या समकक्ष में नियुक्ति के बाद 05 वर्ष की नियमित सेवा की हो

टिप्पणी: प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए जरूरी रिकॉर्डों के मूल्यांकन के

- अलावा 12वीं पास होना और कॉलम 12 के अनुसार प्रायोगिक परीक्षा को उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।
- प्रतिनियुक्ति की अवधि: सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसमें उसी अथवा किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति के तुरंत पहले धारित अन्य बाह्य संवर्गपद (एक्स कैडर) पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल होगी।
- प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 13 यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है :
- i) कार्यकारी निदेशक -अध्यक्ष के.स.क.बो.
- ii) संयुक्त निदेशक (कार्मिक) -सदस्य
- iii) उपनिदेशक (मा.सं.) -सदस्य
- 14 किन परिस्थितियों में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा : लागू नहीं

### स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड-II पद के लिए भर्ती नियम

- Staffnews.in**
- 1 पद का नाम : स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड-II
- 2 पदों की संख्या : 1 (एक)\*
- \* कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अंतर हो सकता है।
3. वर्गीकरण : ग्रुप 'सी' गैर-लिपिकवर्गीय
4. वेतनमान : रु.5200-20200+2400 (ग्रेड वेतन)
5. पद चयनित है या गैर चयनित : गैर चयनित
6. क्या केंद्रीय सेवा नियमावली (पेंशन नियम), 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा के अतिरिक्त वर्ष का लाभ स्वीकार्य है : लागू नहीं
7. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा : लागू नहीं
8. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं : लागू नहीं
9. क्या पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यता लागू होगी : लागू नहीं
10. परिवीक्षा की अवधि, यदि हो : लागू नहीं
11. भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा/ स्थानांतरण और विभिन्न तरीकों के माध्यम से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत : पदोन्नति द्वारा , ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

12. पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती किए जाने के मामले में : स्टाफ कार ड्राइवर, सामान्य ग्रेड से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने उस पद पर नियुक्ति के बाद 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो
- टिप्पणी:-पदोन्नति की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए जरूरी अभिलेखों (रिकॉर्डों) का मूल्यांकन करने के अलावा ड्राइविंग कौशल, सामान्य खराबियों को ठीक करने की क्षमता और यातायात के नियमों की जानकारी का आकलन करने के लिए प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी।
- केंद्र सरकार के कार्यालयों/ राज्य सरकार / स्वायत्त निकायों एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों के कार्यालयों से प्रतिनियुक्ति द्वारा
- जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर कार्यरत हों; या
- जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में रू 5200-20200+1900 (ग्रेड वेतन) या समकक्ष में नियुक्ति के बाद 08 वर्ष की नियमित सेवा की हो;
- टिप्पणी:प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए जरूरी रिकॉर्डों के मूल्यांकन के अलावा 12वीं पास होना और कॉलम 12 के अनुसार प्रायोगिक परीक्षा को उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।
- प्रतिनियुक्ति की अवधि: सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसमें उसी अथवा किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति के तुरंत पहले धारित अन्य बाह्य संवर्गपद (एक्स कैडर) पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल होगी।
- प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है : i) कार्यकारी निदेशक -अध्यक्ष के.स.क.बो.  
ii) संयुक्त निदेशक (कार्मिक) -सदस्य  
iii) उपनिदेशक (मा.सं.) -सदस्य
14. किन परिस्थितियों में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा : लागू नहीं

### कुशल सहयोग कर्मी पद के लिए भर्ती नियम

- |   |                |                  |
|---|----------------|------------------|
| 1 | पद का नाम      | कुशल सहयोग कर्मी |
| 2 | पदों की संख्या | 24 (चौबीस)*      |
- \*कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अंतर हो सकता है.

3.	वर्गीकरण	ग्रुप 'सी' गैर-लिपिकवर्गीय
4.	वेतनमान	रु.5200-20200+1800 (ग्रेड वेतन)
5.	पद चयनित है या गैर चयनित	लागू नहीं
6.	क्या केंद्रीय सेवा नियमावली (पेंशन नियम), 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा के अतिरिक्त वर्ष का लाभ स्वीकार्य है।	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	अधिकतम 27 वर्ष टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान-निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई हो।) रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती किए जाने मामलों में आयु सीमा के निर्धारण की निर्णायक तिथि वह अंतिम तिथि होगी जब तक रोजगार कार्यालय को नाम देने के लिए कहा गया है।
8.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	मैट्रिक या समकक्ष पास
9.	क्या पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पर पूर्ण रूख होगी	लागू नहीं
10.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो	दो वर्ष
11.	भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा/ स्थानान्तरण और विभिन्न तरीकों के माध्यम से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा भर्ती किए जाने के मामले में	लागू नहीं
13.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	i) कार्यकारी निदेशक -अध्यक्ष के.स.क.बो. ii) संयुक्त निदेशक -सदस्य (कार्मिक) iii) उप निदेशक (मा.स.) -सदस्य iv) उप निदेशक (कार्मिक) -सदस्य
14.	किन परिस्थितियों में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	लागू नहीं

#### परियोजना अधिकारी के पद के लिए भर्ती नियम

1	पद का नाम	:	परियोजना अधिकारी
2	पदों की संख्या	:	09 (नौ)

3. वर्गीकरण : ग्रुप 'ए'
4. वेतनमान : रु. 15600-39100+5400 (ग्रेड वेतन)
5. पद चयनित है या गैर चयनित : चयनित
6. क्या केंद्रीय सेवा नियमावली (पेंशन नियम), 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा के अतिरिक्त वर्ष का लाभ स्वीकार्य है। : लागू नहीं
7. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा : लागू नहीं
8. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं : लागू नहीं
9. क्या पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यता लागू होगी : लागू नहीं
10. परिवीक्षा की अवधि, यदि हो : दो वर्ष
11. भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत : 100 % पदोन्नति द्वारा और ऐसा न हो पाने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
12. पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण द्वारा भर्ती किए जाने के मामले में : पदोन्नति के लिए:

सहायक परियोजना अधिकारी के संवर्ग, वेतन बैंड-2 अर्थात् रु. 9300-34800+4600 (ग्रेड वेतन) में न्यूनतम 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो।

प्रतिनियुक्ति के लिए:

# Staffnews.in

केंद्र सरकार/राज्य सरकार / केंद्र सरकार- के अधीन स्वायत्त एजेंसियों के अधिकारियों से जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर कार्यरत हों।

या

-जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में रु.9300-34800+4600 (ग्रेड वेतन) या समकक्ष में नियुक्ति के बाद संबंधित श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो; और

ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से समाज कार्य/समाजशास्त्र/ग्रामीण विकास या अन्य सामाजिक विज्ञान में निष्णात उपाधि (मास्टर डिग्री)

या

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में निष्णात उपाधि (मास्टर डिग्री) और स्नातक स्तर पर समाज कार्य/समाजशास्त्र/ ग्रामीण विकास विषय के रूप में।

या

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में निष्णात उपाधि (मास्टर डिग्री) और साथ में समाज कार्य/समाजशास्त्र/ ग्रामीण विकास विषय में डिप्लोमा।



वांछनीय:

I) कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी, एमएस वर्ड/एक्सल का कार्यसाधक ज्ञान

II) कल्याण कार्यक्रमों/समाज कार्य के कार्यान्वयन में दो वर्ष का अनुभव

III) हिंदी या क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान और लेखों के रखरखाव की जानकारी

ग) प्रतिनियुक्ति की अवधि

प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसमें केंद्रीय/राज्य सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति के तुरंत पहले धारित अन्य बाह्य संवर्ग (एक्स कैडर) पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल होगी।

घ) प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए

13 यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है : i) अध्यक्ष, के.स.क.बो. -अध्यक्ष

: ii) कार्यकारी निदेशक -सदस्य  
के.स.क.बो.

**Staffnews.in**

: iii) संयुक्त निदेशक -सदस्य  
(क्षे.अवि. स्था)

के. स. क. बो.

14 किन परिस्थितियों में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा : लागू नहीं

#### सहायक परियोजना अधिकारी के पद के लिए भर्ती नियम

- |    |   |   |                                  |
|----|---|---|----------------------------------|
| 1  | पद का नाम   | : | सहायक परियोजना अधिकारी           |
| 2  | पदों की संख्या  | : | 22 (बाइस)                        |
| 3. | वर्गीकरण  | : | ग्रुप 'बी'                       |
| 4. | वेतनमान   | : | रु. 9300-34800+4600 (ग्रेड वेतन) |
| 5. | पद चयनित है या गैर चयनित  | : | चयनित                            |
| 6. | क्या केंद्रीय सेवा नियमावली (पेंशन नियम), 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा के अतिरिक्त वर्ष का लाभ स्वीकार्य है। | : | लागू नहीं                        |
| 7. | सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा  | : | लागू नहीं                        |

8. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं : लागू नहीं
9. क्या पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यता लागू होगी : लागू नहीं
10. परिवीक्षा की अवधि, यदि हो : लागू नहीं
11. भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत : 100 % पदोन्नति द्वारा, ऐसा न हो पाने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
12. पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण द्वारा भर्ती किए जाने के मामले में : पदोन्नति के लिए:

कल्याण अधिकारी के संवर्ग में वेतन बैंड-2 अर्थात् रु. 9300-34800+4200 (ग्रेड वेतन) में 5 वर्ष की नियमित सेवा

प्रतिनियुक्ति के लिए:

केंद्र सरकार/राज्य सरकार / स्वायत्त निकायों/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत विश्वविद्यालयों के अधिकारियों से जो वर्तमान संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर कार्यरत हों।

या

--जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में रु. 9300-34800+4200 (ग्रेड वेतन) या समकक्ष में नियुक्ति के बाद संबंधित श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो

**Staffnews.in**

ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से समाज कार्य/समाजशास्त्र/ग्रामीण विकास या अन्य सामाजिक विज्ञानों में निष्णात उपाधि (मास्टर डिग्री)

या

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में निष्णात उपाधि (मास्टर डिग्री) और स्नातक स्तर पर समाज कार्य/समाजशास्त्र/ ग्रामीण विकास विषय के रूप में।

या

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में निष्णात उपाधि (मास्टर डिग्री) और साथ में समाज कार्य/समाजशास्त्र/ ग्रामीण विकास विषय में डिप्लोमा।

वांछनीय:

I) कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी, एमएस वर्ड/एक्सल का कार्यसाधक ज्ञान

II) कल्याण कार्यक्रमों/ समाज कार्य के कार्यान्वयन में दो वर्ष का अनुभव

(III) हिंदी या क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान और लेखा संबंधी कार्यों की जानकारी

(ग) प्रतिनियुक्ति की अवधि

- प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसमें केंद्रीय/राज्य सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति के तुरंत पहले धारित अन्य बाह्य संवर्ग (एक्स कैडर) पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल होगी।
- (घ) प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 13 यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है :
- (i) अध्यक्ष, के.स.क.बो. -अध्यक्ष
- (ii) कार्यकारी निदेशक -सदस्य के.स.क.बो.
- (iii) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से एक अधिकारी जो उप सचिव के सत्य से का न हो। -सदस्य
- 14 किन परिस्थितियों में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा : लागू नहीं।

#### कल्याण अधिकारी के पद के लिए भर्ती नियम

- 1 पद का नाम : कल्याण अधिकारी
- 2 पदों की संख्या : 29 (सुनार)
3. वर्गीकरण : ग्रुप 'बी'
4. वेतनमान : रु. 9300-34800+4200 (ग्रेड वेतन)
5. पद चयनित है या गैर चयनित : लागू नहीं
6. क्या केंद्रीय सेवा नियमावली (पेंशन नियम), 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा के अतिरिक्त वर्ष का लाभ स्वीकार्य है। : लागू नहीं
7. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा : अधिकतम 30 वर्ष

आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू- कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान-निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई हो।)

8. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं : (क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से समाज कार्य/समाजशास्त्र/ग्रामीण विकास या अन्य सामाजिक विज्ञान में निष्णात उपाधि (मास्टर डिग्री)
- या
- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में निष्णात उपाधि (मास्टर डिग्री) और स्नातक स्तर पर समाज कार्य/समाजशास्त्र/ ग्रामीण विकास विषय के रूप में।
- या
- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में निष्णात उपाधि (मास्टर डिग्री) और साथ में समाज कार्य/समाजशास्त्र/ ग्रामीण विकास विषय में डिप्लोमा।
- (ख) कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी, एमएस वर्ड/एक्सल का कार्यसाधक ज्ञान
- (ग) कल्याण कार्यक्रमों/ समाज कार्य के कार्यान्वयन में दो वर्षों का अनुभव
- वांछनीय:
- हिंदी या क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान और लेखों के रखरखाव की जानकारी
9. क्या पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक प्राप्ति लागू होगी : लागू नहीं
10. परिवीक्षा की अवधि, यदि हो : दो वर्ष
11. भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत : 100 % सीधी भर्ती
- टिप्पणी: सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पद के पदधारी के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति पर चले जाने या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या अधिक की अवधि की रिक्ति को कॉलम 12 में दिए गए नियम व शर्तों के अनुसार प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जा सकता है।
12. पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण द्वारा भर्ती किए जाने के मामले में : (क) केंद्र सरकार/राज्य सरकार / स्वायत्त निकायों/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर कार्यरत हों; या जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में रूपये 5200-20200+2400 (ग्रेड वेतन) या समकक्ष में नियुक्ति के बाद 10 वर्ष की नियमित सेवा की हो और
- (ख) जिनके पास निम्नानुसार निर्धारित योग्यता और अनुभव है:
- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से समाज कार्य/समाजशास्त्र/ग्रामीण विकास या अन्य सामाजिक विज्ञानों में स्नातकोत्तर डिग्री

या

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में निष्णात उपाधि (मास्टर डिग्री) और स्नातक स्तर पर समाज कार्य/समाजशास्त्र/ ग्रामीण विकास विषय के रूप में।

या

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में निष्णात उपाधि (मास्टर डिग्री) और साथ में समाज कार्य/समाजशास्त्र/ ग्रामीण विकास विषय में डिप्लोमा।

वांछनीय:

(i) कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी, एमएस वर्ड/एक्सल का कार्यसाधक ज्ञान

(II) कल्याण कार्यक्रमों/ समाज कार्य के कार्यान्वयन में दो वर्ष का अनुभव

III) हिंदी या क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान और लेखों के रख-रखाव की जानकारी

(ग) प्रतिनियुक्ति की अवधि

प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसमें केंद्रीय/राज्य सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति के तुरंत पहले धरिये अन्य बाह्य संवर्ग (एक्स कैडर) पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल होगी।

(घ) प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

- 13 यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है। :
- i) अध्यक्ष, अध्यक्ष  
के.स.क.बो.
- ii) कार्यकारी निदेशक सदस्य
- iii) संयुक्त निदेशक सदस्य  
(क्षे.अ.स्था.)
- 14 किन परिस्थितियों में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा :
- लागू नहीं

# Staffnews.in

**MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th August, 2020

**No. CSWB-12/198/2017-CSWB.**—Ministry of Women and Child Development, Govt. of India has amended the Recruitment & Promotion Rules in respect of Central Social Welfare Board (CSWB), an autonomous organization w.e.f. 22.02.2017. Copies of the Recruitment & Promotion Rules are attached herewith.

ORDERED that a copy of the notification be communicated to all concerned.

ORDERED also that the notification be published in the Extra Ordinary Gazette of India for general information.

M. IMKONGLA JAMIR, Jt. Secy.

**RECRUITMENT RULES FOR THE POST : JOINT DIRECTOR**

1. Name of the post : Joint Director
2. No. of Posts : 3 (Three)\*  
\*Subject to variation depending on workload.
3. Classification : Group 'A' Ministerial
4. Scale of Pay : Rs. 15600-39100+7600(GP).
5. Whether Selection or No. Selections : Selection
6. Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (Pension Rules), 1972 : Not applicable
7. Age Limit for Direct recruits : Not applicable
8. Educational & other Qualifications required for direct recruits : Not applicable
9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees : Not applicable
10. Period of probation, if any : Not applicable
11. Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the posts to be filled by various methods : By promotion failing which by deputation.
12. In case of Recruitment by promotion/ Deputation transfer to be made: : By promotion from Deputy Directors with 5 years service in the respective grades rendered after appointment thereto on a regular basis.

Note: By Deputation from officers of Central Government/Autonomous bodies under the Central Government:

(a)- holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/department; or

- with 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band of Rs. 15600-39100+6600(GP) or equivalent in the parent cadre/department; and

(b) Possessing qualification & experience prescribed as follows:

Essential: Post Graduate in Public Administration/ Social Work/Economics/Rural Development/ MBA/PGDM from a recognized University or Institution with at least 5 years experience of administration and establishment matters with working knowledge of computers and related software.

: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization shall ordinarily not exceed 3 years.

: Maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.

13. If a DPC exists, what is its composition : (i) Chairperson, CSWB - Chairman  
(ii) Executive Director, CSWB - Member  
(iii) An Officer from Ministry of Women & Child Development not below the rank of Director - Member
14. Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment : Not applicable

### **RECRUITMENT RULES FOR THE POST : DEPUTY DIRECTOR**

1. Name of the post : Deputy Director
2. No. of Posts : 07 (Seven)\*  
\* Subject to variation depending on workload.
3. Classification : Group 'A' Ministerial
4. Scale of Pay : Rs.15600-39100+6600 (GP)
5. Whether Selection or Non-Selection Post : Selection
6. Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (Pension Rules), 1972 : Not applicable
7. Age Limit for Direct recruits : Not applicable

8. Educational & other Qualifications required for direct recruits : Not applicable
9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees : Not applicable
10. Period of probation, if any : Not applicable
11. Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the posts to be filled by various methods : By promotion failing which by deputation.
12. In case of Recruitment by promotion/ Deputation transfer to be made: : By promotion from the grade of Assistant Director Gr. I (HQs) & Project Officer (Field) with 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the ratio of 1:1.  
:By deputation from officers of Central Govt./Autonomous bodies under the Central Govt.  
a) - holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/ department; or  
with 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band of Rs.9300-34800+5400(GP) or equivalent in the parent cadre/ department or 6 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band of Rs.9300-34800+5400 (GP) and  
b) possessing qualification & experience prescribed as follows:  
Essential: Post Graduate in Public Administration/ Social Work/ Economics/ Rural Development/ MBA/ PGDM from a recognized University or Institution with at least 5 years experience of administration and establishment matters with working knowledge of computers and related software.  
:Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization shall ordinarily not exceed 3 years.  
:Maximum age limit for appointment for deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.
13. If a DPC exists, what is its composition : 1 Chairperson, CSWB - Chairman  
: 2 Executive Director, CSWB - Member  
: 3 An Officer from Ministry of Women & Child Development not below the rank of Deputy Secretary

**Staffnews.in**



14. Circumstances under which UPSC is to be consulted in making recruitment : Not applicable

**RECRUITMENT RULES FOR THE POST : ASSISTANT DIRECTOR, GRADE- I**

1. Name of the post : Assistant Director, Gr-I
2. No. of Posts : 5 (Five)\*  
\* Subject to variation depending on workload.
3. Classification : Group 'A' Ministerial
4. Scale of Pay : Rs.15600-39100+5400 (GP)
5. Whether Selection Post or Non-Selection Post : Selection.
6. Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (Pension Rules), 1972 : Not applicable
7. Age Limit for Direct recruits : 35 years (as per DoPT guidelines)
8. Educational & other Qualifications required for Direct recruits : (1) Post Graduate in Public Administration/ Social Work/Rural Development/ MBA/ PGDM/Criminology from a recognized University or Institution.  
(2) Five years experience, out of which at least three years in a supervisory capacity in a Govt. Office/Autonomous bodies/PSU/Universities recognized by UGC in administration and programme implementation(Welfare Programmes) with working knowledge of computer and related softwares.
9. Whether age and educational qualifications prescribed for Direct recruits will apply in case of promotees : Not applicable
10. Period of probation, if any : Two years for promotees &  
Two years for Direct Recruitment
11. Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the posts to be filled by various methods : 75% by Promotion failing which deputation  
25% by Direct Recruitment
12. In case of Recruitment by promotion/ Deputation/transfer to be made: : By promotion from the grades of Assistant Director Gr. II with 3 years service in the respective grade rendered after appointment thereto on a regular basis.  
Note:- The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade/post.  
: By deputation from officers of Central Govt./State Govt./Autonomous bodies & Universities recognized by UGC:-

**Staffnews.in**

(a)- holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/ department;  
or

- with 2 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band of Rs. 9300-34800+4800(GP) or with 3 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band of Rs. 9300-34800+4600(GP) or equivalent in the parent cadre/ department; and

(b) Possessing qualification and experience prescribed as follows:

Essential: Post Graduate in Public Administration/Social Work/ Economics/ Rural Development/MBA/ PGDM from a recognized University or Institution with at least 5 years experience of administration and establishment matters.

Desirable: Degree or Diploma in Social Work/ Sociology from a recognized University or Institution for candidates who have degree in subjects other than Social Work & Sociology.

:Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization shall not ordinarily exceed 3 years.

: Maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.

13. If a DPC exists, what is its composition :
- |   |  |   |                 |
|---|--|---|-----------------|
| : | (i) Chairperson, CSWB  | - | Chairman        |
| : | (ii) Executive Director, CSWB  | - | Member          |
| : | (iii) An Officer from Ministry of Women & Child Development not below the rank of Deputy Secretary | - | Member          |
| : | iv) Joint Director (Pers.)   | - | Co-opted Member |
14. Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
- Not applicable

### **RECRUITMENT RULES FOR THE POST : ASSISTANT DIRECTOR, GRADE- II**

- |    |                  |   |                          |
|----|------------------|---|--------------------------|
| 1. | Name of the post | : | Assistant Director Gr-II |
| 2. | No. of Posts     | : | 6 (Six)*                 |

- \* Subject to variation depending on workload.
3. Classification : Group 'B' Ministerial
4. Scale of Pay : Rs.9300-34800+4600 (GP)
5. Whether Selection or Non-Selection Post : Selection.
6. Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (Pension Rules), 1972 : Not applicable
7. Age Limit for Direct recruits : Not applicable
8. Educational & other Qualifications required for direct recruits : Not applicable
9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees : Not applicable
10. Period of probation, if any : Not applicable
11. Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the posts to be filled by various methods : By promotion failing which by deputation
12. In case of Recruitment by promotion/ Deputation/transfer to be made: : By promotion from the grade of Assistant with 5 years service rendered after appointment on a regular basis.

ii) By deputation from officers of Central Government/State Govt./Autonomous bodies & Universities recognized by UGC:-

(a)- holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/ department; or

- with 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band of Rs. 9300-34800+4200 (GP) or equivalent in the parent cadre/ department; and

(b) possessing qualification and experience prescribed as follows:

Essential: Post Graduate in Public Administration/Social Work/ Economics/Rural Development/MBA/ PGDM from a recognized University or Institution with at least 5 years experience of administration and establishment matters.

:Desirable: Degree or Diploma in Social Work/Social Welfare from a recognized University or Institution.

:Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization shall not ordinarily exceed 3 years.

**Staffnews.in**

- :Maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.
13. If a DPC exists, what is its composition : (i) Chairperson, CSWB - Chairman  
: (ii) Executive Director, CSWB - Member  
: (iii) Joint Director (Pers.) - Member  
: (iv) Deputy Director (Pers.) - Member
14. Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment : Not applicable

### RECRUITMENT RULES FOR THE POST : ASSISTANT

1. Name of the post : Assistant
2. No. of Posts : 20 (Twenty)\*  
\* Subject to variation depending on workload.
3. Classification : Group 'B' Ministerial
4. Scale of Pay : Rs. 9300-34800+4200 (GP)
5. Whether Selection or Non-Selection Post : Selection.
6. Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (Pension Rules), 1972 : Not applicable
7. Age Limit for Direct recruits : Up to 20 years

Note: Relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).

8. Educational & other Qualifications required for direct recruits : Essential:  
Educational Qualification:  
(1) Graduate from a Recognized University/Institute.  
(2) Working knowledge of Computer with related software.  
Desirable:  
Three years experience in Administration and Establishment matters in reputed organization.  
Note: The qualification regarding experience is

- relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.
9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes : Not applicable
10. Period of probation, if any : Promotees: Two years  
Direct Recruits: Two years
11. Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the posts to be filled by various methods : 33% by Direct Recruitment.  
:67% by Promotion, failing which by deputation.
- Note: Vacancies caused in the posts filled by direct recruitment by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled either by promotion from eligible candidates or deputation basis as per terms and conditions given against col 12.
12. In case of Recruitment by promotion/Deputation/transfer to be made: : By promotion from the grade of Upper Division Clerk with 10 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.  
: By deputation from officers of Central Government/State Govt./Autonomous bodies & Universities recognized by UGC:-  
(a) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/ department; or with 10 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band of Rs.5200-20200+2400(GP) or equivalent in the parent cadre/ department; and  
(b) possessing qualification & experience prescribed as follows:  
Essential: Graduate in any discipline from a recognized University/Institution with at least 5 years experience in administration and Establishment matters.  
:Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization shall ordinarily not exceed 3 years.

: Maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.

**Note:** As per DoPT guidelines, eligibility service for promotion shall continue to be the same i.e. 5 years for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of the revised rules.

13. If a DPC exists, what is its composition : (i) Executive Director, CSWB - Chairman  
: (ii) Joint Director (Pers.) - Member  
: (iii) Deputy Director (Pers.) - Member
14. Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment : Not applicable

### **RECRUITMENT RULES FOR THE POST : UPPER DIVISION CLERK**

1. Name of the post : Upper Division Clerk
2. No. of Posts : 23 (Twenty Three)\*  
\* Subject to variation depending on workload.
3. Classification : Group 'C' Ministerial
4. Scale of Pay : Rs.5200-20200+2400 (GP)
5. Whether Selection or Non-Selection posts : Non-Selection.
6. Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (Pension Rules), 1972 : Not applicable
7. Age Limit for Direct recruits : Up to 30 years

Note: Relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K State, Lahaul and Spiti district and Pangni Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).

8. Educational & other Qualifications required for direct recruits : **Essential:**  
Educational Qualification:  
(1) Graduate from a Recognized University/Institute.  
(2) Working knowledge of Computer

**Desirable:**

Two years experience in administration and establishment matters in reputed organizations.

**Note:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees : Not applicable
10. Period of probation, if any : Direct Recruits: Two years
11. Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the posts to be filled by various methods : :75% by Direct Recruitment.  
:25% by Promotion, failing which by deputation.(since number of Posts in the feeder Category i.e. LDC has been assessed as six by SIU)  
Note: Vacancies caused in the posts filled by direct recruitment by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled either by promotion from eligible candidates or deputation basis as per terms and conditions given against col.12.
12. In case of Recruitment by promotion/ Deputation/transfer to be made: : By promotion from the grade of L.D.C. with 8 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.  
: By deputation from officers of Central Government/State Govt./Autonomous bodies & Universities recognized by UGC:-  
- holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/ department; or  
- with 8 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band of Rs.5200-20200+1900 (GP) or equivalent in the parent cadre/ department; and  
- (b) possessing the qualification & experience as prescribed for direct recruitment.  
:Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization shall ordinarily not exceed 3 years.  
:Maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.

**Staffnews.in**

- Note:** As per DoPT guidelines, eligibility service for promotion shall continue to be the same i.e. 5 years for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of the revised rules.
13. If a DPC exists, what is its composition : (i) Executive Director, CSWB - Chairman  
: (ii) Joint Director (Pers.) - Member  
: (iii) Deputy Director (Pers.) - Member
14. Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment : Not applicable

### **RECRUITMENT RULES FOR THE POST : LOWER DIVISION CLERK**

1. Name of the post : Lower Division Clerk
2. No. of Posts : 06 (Six)\*  
\* Subject to variation depending on workload.
3. Classification : Group 'C' Ministerial
4. Scale of Pay : Rs.5200-20200+1900 (GP)
5. Whether Selection or Non-Selection Post : Not applicable
6. Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (Pension Rules), 1972 : Not applicable
7. Age Limit for Direct recruits : Up to 27 years  
Note: Relaxable for Departmental candidates up to 5 years.  
Note: Relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.  
The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).
8. Educational & other Qualifications required for direct recruits : **Essential:**  
1. 12<sup>th</sup> class or equivalent qualification from the recognized Board or University with 'O' Level DOEACC.  
2. Typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on computer (Time Allow: 10 Min).  
(35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word).

**Staffnews.in**



**Desirable:**

One year's clerical/typing experience in an organization.

Note: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees

Yes, to the extent indicated in Col. 11.

10. Period of probation, if any

: Direct Recruit:- 2 Years

11. Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the posts to be filled by various methods

a) 85% by Direct Recruitment.

b) 10% of the vacancies shall be filled from amongst the Group 'C' staff in the grade pay of Rs. 1800/- and who possess 12<sup>th</sup> class or equivalent qualification and have rendered 3 years regular service in the grade, on the basis of Departmental qualifying exam. The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years (50 years of age for the

**Staffnews.in**

SC/ST) 7.5% of the vacancy shall be filled on seniority cum fitness basis from Group 'C' employees who have 3 years regular service in posts with the grade pay of Rs. 1800/-.

Note: Vacancies caused in the posts filled by direct recruitment by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled either by promotion from eligible candidates or by deputation basis as per terms and conditions given against col.12.

12. In case of Recruitment by promotion/ Deputation/transfer to be made:

: By deputation from officers of Central Government/State Govt./Autonomous bodies & Universities recognized under UGC:-

- holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/department; or equivalent in the parent cadre/department having educational and other qualification laid down in column 8.

:Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization shall ordinarily not exceed 3 years.

:Maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.

13. If a DPC exists, what is its composition : (i) Executive Director, CSWB - Chairman  
: (ii) Joint Director (Pers.) - Member  
: (iii) Deputy Director (Pers.) - Member
14. Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment : Not applicable

**RECRUITMENT RULES FOR THE POST : SENIOR RESEARCH OFFICER**

1. Name of the post : Senior Research Officer
2. No. of Posts : 1 (One)\*  
\* Subject to variation depending on workload.
3. Classification : Group 'A' Non Ministerial
4. Scale of Pay : Rs.15600-39100+6600 (GP)
5. Whether Selection or Non-Selection Post : Not applicable
6. Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (Pension Rules), 1972 : Not applicable
7. Age Limit for Direct recruits : 40 years (as per DoPT guidelines)  
**Note:** Relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.
- Staffnews.in**
- Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).
8. Educational & other Qualifications required for direct recruits : **Essential:**  
(1) Master's degree in Statistics/Mathematics or Economics with Statistics as one of the subjects or Master's degree in Computer application/Computer Science or B.Tech in Computer Science/Engineering from a recognized University/Institution; and  
(2) 5 years experience of Social Research or Social Planning or Social Work Education & Training or in the field of Social Welfare & Development.
9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees : Academic qualifications applicable to Direct Recruits are applicable to promotees also. Age is relaxable in case of promotees.
10. Period of probation, if any : Direct Recruit: Two years

11. Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the posts to be filled by various methods : By Promotion failing by deputation failing both by Direct Recruitment.
12. In case of Recruitment by promotion/ Deputation transfer to be made: : By promotion from the grade of Research Officer with 5 years of service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.  
: By deputation from officers of Central Government/State Govt./Autonomous bodies & Universities recognized by UGC:-  
- holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/ department; or with 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band of Rs.9300-34800+5400 (GP) or equivalent in the parent cadre/ department; or with 6 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band of Rs.9300-34800+4800 (GP) or equivalent in the parent cadre/department; or with 7 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band of Rs.9300-34800+4600 (GP) or equivalent in the parent cadre/ department; and  
b) possessing qualification and experience prescribed as follows:  
**ESSENTIAL :**  
1) Master's degree in Statistics/ Mathematics or Economics with Statistics as one of the subjects or Master's degree in Computer application/Computer Science or B.Tech in Computer Science/Engineering from a recognized University/Institution; and  
2) 5 years experience of Social Research or Social Planning or Social Work Education & Training or in the field of Social Welfare & Development.  
:Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization shall ordinarily not exceed 3 years.  
:Maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.
13. If a DPC exists, what is its composition : i) Chairperson, CSWB - Chairman  
ii) Executive Director, CSWB - Member

**Staffnews.in**

- |     |  |  |   |                 |
|-----|--|--|---|-----------------|
|     | iii)   | An Officer from Ministry of Women & Child Development not below the rank of Deputy Secretary | - | Member          |
|     | iv)  | Joint Director (Pers.)   | - | Co-opted Member |
| 14. | Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment | :  |   | Not applicable  |

### **RECRUITMENT RULES FOR THE POST : RESEARCH OFFICER**

- |    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 1. | <b>Name of the post</b>   | : | Research Officer                              |
| 2. | No. of Posts  | : | 1 (One)*                                      |
|    |   |   | * Subject to variation depending on workload. |
| 3. | Classification  | : | Group 'A' Non-Ministerial                     |
| 4. | Scale of Pay  | : | Rs.9300-34800+5400 (GP)                       |
| 5. | Whether Selection or Non-Selection Post   | : | Not applicable                                |
| 6. | Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (Pension Rules), 1972 | : | Not applicable                                |
| 7. | Age Limit for Direct recruits   | : | 35 years (as per DoPT guidelines)             |

Staffnews.in

Note: Relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).

- |    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 8. | Educational & other Qualifications required for direct recruits | : | <b>Essential:</b>   |
|    |   |   | 1) Master's degree in Statistics/ Mathematics/ Economics with statistic as a subject/ MCA/ B-Tech. in Computer Science and Engineering from a recognized University or Institution. |
|    |   |   | 2) 5 years experience of Social Research or Social Planning or Social Work Education & Training or in the field of Social Welfare & Development.                                    |

9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees : Not applicable
10. Period of probation, if any : Two years for Direct Recruittees
11. Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the posts to be filled by various methods : By Direct Recruitment failing which by deputation.
12. In case of Recruitment by promotion/ Deputation transfer to be made: : **By deputation**  
 By deputation from officers of Central Government/State Govt./Autonomous bodies & Universities recognized by UGC:-  
 - holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/ department; or  
 - -with 2 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band of Rs.9300-34800+4800 (GP) or equivalent in the parent cadre/ department; or  
 - with 3 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band of Rs.9300-34800+4600 (GP) or equivalent in the parent cadre/department; and  
 b) possessing qualification and experience prescribed as follows:  
**ESSENTIAL:**  
 Master's degree in Statistics/ Mathematics/ Economics with Statistics as a subject/MCA/B.Tech in Computer Science and Engineering from a recognized University or Institution;  
**Desirable:**  
 5 years experience of Social Research or Social Planning or Social Work Education & Training or in the field of Social Welfare & Development.  
 :Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization shall ordinarily not exceed 3 years.  
 :Maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.
13. If a DPC exists, what is its composition :  
 i Chairperson, CSWB - Chairman  
 ii Executive Director, CSWB - Member  
 iii An Officer from Ministry of Women & Child Development not below the rank of Deputy Secretary

**Staffnews.in**

	iv	Joint Director (Pers.)	-	Co-opted Member
	v	SRO (CSWB)	-	Member
14.		Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment		Not applicable

### **RECRUITMENT RULES FOR THE POST : EDITOR**

1. **Name of the post** : Editor
2. **No. of Posts** : 1 (One)\*  
\* Subject to variation depending on workload.
3. **Classification** : Group 'A' Non-Ministerial
4. **Scale of Pay** : Rs.15600-39100+6600 (GP)
5. **Whether Selection or Non-Selection Post** : Not applicable
6. **Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (Pension Rules), 1972** : Not applicable
7. **Age Limit for Direct recruits** : 40 years (as per DoPT guidelines)  
Note: Relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.  
**Staffnews.in** Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).
8. **Educational & other Qualifications required for direct recruits** : **Essential:-**  
Master's degree in Journalism/Mass Communication with English & Hindi as main subject at the graduation level from a recognized University/ Institution with at least 5 years Journalistic experience in a magazine or Journal/newspaper of repute.
9. **Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees** : Not applicable
10. **Period of probation, if any** : Not applicable
11. **Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the posts to be filled by various methods** : By deputation failing which by Direct Recruitment.( Feeder Category Post of Assistant Editor not recommended by SIU)

12. In case of Recruitment by promotion/ : : By deputation from officers of Central  
Deputation/transfer to be made: Govt./State Govt./Autonomous bodies &  
Universities recognized by UGC:-
- holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/department; or
  - with 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 9300-34800+5400 (GP) or equivalent in the parent cadre department; or
  - with 6 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band of Rs. 9300-34800+4800 (GP) or equivalent in the parent cadre/department; or
  - with 7 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band of Rs. 9300-34800+4600 (GP) or equivalent in the parent cadre/department
- b) Having qualification and experience mentioned below:
- Essential:**
- Master's degree in Journalism/Mass Communication with English & Hindi as main subject at the graduation level from a recognized University Institution with at least 5 years Journalistic experience in a magazine or Journal/newspaper of repute.
- :Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization shall ordinarily not exceed 3 years.
- : Maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.
13. If a DPC exists, what is its composition : i) Chairperson, CSWB - Chairman  
ii) Executive Director, CSWB - Member  
iii) An Officer from Ministry of Women & Child Development not below the rank of Deputy Secretary - Member  
iv) Joint Director (Media) - Co-opted Member
14. Circumstances in which UPSC is to be : Not applicable  
consulted in making recruitment

Staffnews.in

**RECRUITMENT RULES FOR THE POST : HINDI OFFICER [ASSISTANT DIRECTOR (OL)]**

1. **Name of the post** : Assistant Director (OL) #
2. **No. of Posts** : 1 (One)\*  
\* Subject to variation depending on workload.
3. **Classification** : Group 'A' Non-Ministerial
4. **Scale of Pay** : Rs.15600-39100+5400 (GP)
5. **Whether Selection or Non-Selection Post** : Selection
6. **Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (Pension Rules), 1972** : Not applicable
7. **Age Limit for Direct recruits** : Not exceeding 35 years  
Note: Relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.  
Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K State, Lahaul and Spiti district and Pangni Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).
8. **Educational & other Qualifications required for direct recruits** : (i) Master's degree of a recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level.  
OR  
Master's degree of a recognized University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level.  
OR  
Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level.  
OR  
Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level  
OR  
Master's degree of a recognized University in any



subject other than Hindi or English, with Hindi and English as a compulsory or elective subject or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level

(ii) Three years' experience of using/applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice versa, preferably of technical or scientific literature under Central/State Governments/Autonomous Body/ Statutory Organizations/PSUs/Universities/ recognized Research or educational institutions.

OR

Three years' experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central/State Government/Auonomous Body Statutory organizations/PSUs/Universities or recognized Research educational institutions.

9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees : Not applicable
10. Period of probation, if any : One year for Direct Recruits and Promotees
11. Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of posts to be filled by various methods : By promotion failing by deputation failing both by Direct Recruitment
12. In case of Recruitment by promotion/ Deputation transfer to be made: : By promotion from the grade of Senior Hindi Translator with 3 years of service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.
- By deputation from officers of Central Government/ State Govt./Autonomous bodies & Universities recognized by UGC:-
- holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/ department; or
  - with 3 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band of Rs.9300-34800+4600 (GP) or equivalent in the parent cadre/ department; and
- b) Possessing educational qualification and experience prescribed for Direct Recruits-
- : Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization shall ordinarily not exceed 3 years.
- : Maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.

13. If a DPC exists, what is its composition : i) Chairperson, CSWB - Chairman  
 ii) Executive Director, CSWB - Member  
 iii) An Officer from Ministry of Women & Child Development not below the rank of Deputy Secretary - Member  
 iv) Joint Director (Pers.) - Co-opted Member
14. Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment : Not applicable

#Note:- as per Model RR circulated by DoPT OM No. AB-14017/46/2011-Estt.(RR) dated 19.09.2013

**RECRUITMENT RULES FOR THE POST : SENIOR HINDI TRANSLATOR**

1. **Name of the post** : Senior Hindi Translator #
2. **No. of Posts** : 1 (One)\*  
 \* Subject to variation depending on workload.
3. **Classification** : Group 'B'  
 Non-Ministerial
4. **Scale of Pay** : Rs. 9300-34800+4600 (GP)
5. **Whether Selection or Non-Selection Post** : Selection
6. **Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (Pension Rules), 1972** : Not applicable
7. **Age Limit for Direct recruits** : No exceeding 30 years  
 Note: Relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.  
 Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).
8. **Educational & other Qualifications required for direct recruits** : Master's degree of a recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level  
 Or  
 Master's degree of a recognized University in English, with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level.

Or

Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level.

OR

Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level

Or

Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as a compulsory or elective subject or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level

And

Recognized Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English & vice versa or three years' experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central OR State Government office/Autonomous/ Body/ University recognized by UGC / Government of India/Jharkhand.

**Staffnews.in**

9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees : Not applicable.
10. Period of probation, if any : Direct Recruits – Two years
11. Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the posts to be filled by various methods : : By promotion failing which by deputation failing both by Direct Recruitment
12. In case of Recruitment by promotion/ Deputation/transfer to be made: : By promotion from the grade of Junior Translator with 5 years of service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.  
: By deputation from officers of Central Government/State Govt./Autonomous bodies and Universities recognised by UGC :  
- holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/ department;  
or  
- with 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band of Rs.9300-34800+4200 (GP) or equivalent in the parent cadre/ department; and  
b) Possessing the educational qualification laid down for Direct Recruits.

- : Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization shall ordinarily not exceed 3 years.
- : Maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.
13. If a DPC exists, what is its composition : i) Chairperson, CSWB - Chairman  
ii) Executive Director, CSWB - Member  
iii) JD (Personnel) - Member  
iv) Editor - Member
14. Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment : Not applicable

#Note:- As per model RR circulated by DoPT OM No. AB-14017/46/2011-Esst(RR) dated 19.09.2013

**RECRUITMENT RULES FOR THE POST : JUNIOR HINDI TRANSLATOR**

1. Name of the post : Junior Hindi Translator #
2. No. of Posts : 1 (One)\*  
\* Subject to variation depending on workload.
3. Classification : Group 'B'  
Non-Ministerial
4. Scale of Pay : Rs.9300-34800+4200 (GP)
5. Whether Selection or Non-Selection Post : Not applicable
6. Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (Pension Rules), 1972 : Not applicable
7. Age Limit for Direct recruits : Up to 30 years (as per DoPT guidelines)  
Note: Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.  
Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).
8. Educational & other Qualifications required for direct recruits : Master's degree of a recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level.

Or

Master's degree of a recognized University in English, with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level.

Or

Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level.

Or

Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level

Or

Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as a compulsory or elective subject or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subjects at the degree level

# Staffnews.in

AND  
Recognized Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English & vice versa or two years experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central OR State Government office/ Autonomous Body/ University recognized by UGC/ Government of India Undertaking.

**Note:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees : Not applicable.

10. Period of probation, if any : Two years

11. Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the posts to be filled by various methods : Direct recruitment

Note: Vacancies caused in the post filled by Direct recruitment by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study

- leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by deputation basis as per terms and conditions given against col.12.
12. In case of Recruitment by promotion/ Deputation/transfer to be made: : : By deputation from officers of Central Government/State Govt./ Autonomous bodies and Universities recognized by UGC :
- holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/ department;
  - Or
  - with 10 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band of Rs. 5200-20200+2400 (GP) or equivalent in the parent cadre/ department; and
- b) Possessing qualification and experience prescribed for direct recruitment.
- : Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization shall ordinarily not exceed 3 years.
- : Maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.
13. If a DPC exists, what is its composition : i) Executive Director, CSWB - Chairman  
ii) Joint Director (Pers.) - Member  
iii) Editor - Member
14. Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment : Not applicable

# Note:- as per model RR circulated by DOPT OM no. AB-14017/46/2011-Estt.(RR) dated 19.09.2013

**RECRUITMENT RULES FOR THE POST : SENIOR PA TO CHAIRMAN**

1. Name of the post : Sr. PA to Chairman
2. No. of Posts : 1 (One)\*  
\* Subject to variation depending on workload.
3. Classification : Group 'B' Ministerial
4. Scale of Pay : Rs.9300-34800+4600 (GP)
5. Whether Selection or Non-Selection Post : Selection
6. Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (Pension Rules), 1972 : Not applicable
7. Age Limit for Direct recruits : Not applicable
8. Educational & other Qualifications for direct recruits : Not applicable

9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees : Not applicable.
10. Period of probation, if any : Not applicable.
11. Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the posts to be filled by various methods : Promotion failing which by deputation
12. In case of Recruitment by promotion/ Deputation/transfer to be made: : By promotion from the grade of Steno.'C' with 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.  
: By deputation from officers of Central Govt./State Govt./Autonomous bodies & Universities recognized by UGC:-  
- holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/ department; or  
- with 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band of Rs.9300-34800+4200 (GP)  
having qualification and experience mentioned below:  
**Essential:**  
1. Degree from a recognized University or Institution with 'B' level DOEACC  
Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization shall ordinarily not exceed 3 years.  
: Maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.
13. If a DPC exists, what is its composition : i) Chairperson, CSWB - Chairman  
ii) Executive Director, CSWB - Member  
iii) Joint Director (Pers.) - Member  
iv) Deputy Director (Pers.) - Member
14. Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment : Not applicable

**RECRUITMENT RULES FOR THE POST : STENOGRAPHER GRADE- 'C'**

1. **Name of the post** : Stenographer, Grade 'C'
2. **No. of Posts** : 4 (Four)\*  
\* Subject to variation depending on workload.
3. **Classification** : Group 'B' Ministerial

4. Scale of Pay : Rs.9300-34800+4200 (GP)
5. Whether Selection or Non-Selection Post : Selection
6. Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (Pension Rules), 1972 : Not applicable
7. Age Limit for Direct recruits : 30 years
8. Educational & other Qualifications required for direct recruits : 1. Graduate from a recognized University/Institution with 'O' level DOEACC.  
2. 3 years experience in stenography.  
3. 10 minutes @100 wpm in shorthand  
Trans: 40 minutes (English) or 55 minutes (Hindi).
9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees : No.
10. Period of probation, if any : Two years for Promotees.  
Two years for Direct Recruits.
11. Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the posts to be filled by various methods : : 67% by Promotion failing which deputation.  
: 33% by Direct recruitment.
12. In case of Recruitment by promotion/Deputation transfer to be made : : By promotion from the grade of Stenographer Grade 'D' with 10 years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis.  
: By deputation from officers of Central Govt./State Govt./Autonomous bodies & Universities recognized by UGC:-  
- holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/ department; or  
- with 6 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band of Rs.5200-20200+2800 (GP) or equivalent in the parent cadre/ department; or with 10 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band of Rs.5200-20200+2400 (GP) or equivalent in the parent cadre/ department; and  
b) Possessing qualification and experience prescribed as follows:  
Graduate from a recognized University/ Institution with 'O' Level DOEACC.  
:Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization shall not ordinarily exceed 3 years.



- : Maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.
- Note: As per DoPT guidelines, eligibility service for promotion shall continue to be the same i.e. 5 years for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of the revised rules.
13. If a DPC exists, what is its composition : (i) Executive Director, - Chairman  
CSWB  
(ii) Joint Director (Pers.) - Member  
(iii) Deputy Director (Pers.) - Member
14. Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment : Not applicable

**RECRUITMENT RULES FOR THE POST : STENOGRAPHER GRADE- 'D'**

1. Name of the post : Stenographer, Grade 'D'
2. No. of Posts : 7(Seven)\*  
\*Subject to variation depending on workload.
3. Classification : Group 'C' Ministerial
4. Scale of Pay : Rs. 5200-20200+2400 (GP)
5. Whether Selection or Not : Not applicable
6. Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (Pension Rules), 1972 : Not applicable
7. Age Limit for Direct recruits : : Up to 27 years.  
**Note:** Relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the central Government.  
**Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K State, Lahaul and Spiti District and Pangti Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).
8. Educational & other Qualifications required for direct recruits : Essential:  
1. Graduation from a recognized University/Institution with 'O' level DOEACC.  
2. 10 minutes @ 80 w.p.m.  
Trans: 50 minutes (English) or 65 minutes

- (Hindi)
- Typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on Computer.
- (35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word).
9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees : Not applicable
10. Period of probation, if any : Two years
11. Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the posts to be filled by various methods : : By direct recruitment.
- Note: Vacancies caused in the posts filled by direct recruitment by the incumbent being away on transfer, on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by deputation basis as per terms and conditions given against col.12.
12. In case of Recruitment by promotion/ Deputation/transfer to be made: : : By deputation from officers of Central Govt./State Govt./ Autonomous bodies & Universities recognized by UGC:-
- holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/ department; or
  - with 8 years service in the grade rendered before appointment thereto on a regular basis in the pay band of Rs.5200-20200+1900 (GP) or equivalent in the parent cadre/ department; and
- (b) Possessing qualification and experience prescribed for direct recruitment:
- :Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization shall not ordinarily exceed 3 years.
- : Maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.
13. If a DPC exists, what is its composition : (i) Executive Director, CSWB - Chairman  
(ii) Joint Director (Pers.) - Member  
(iii) Deputy Director (Pers.) - Member
14. Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment : Not applicable

**Staffnews.in**

**RECRUITMENT RULES FOR THE POST : IFA-CUM-CAO**

2. No. of Posts : 1 (One) \*  
\* Subject to variation depending on workload
3. Classification : Group 'A' Ministerial
4. Scale of Pay : Rs. 15600-39100+6600 (GP)
5. Whether Selection or Non-Selection Post : Selection
6. Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (Pension Rules), 1972 : Not applicable
7. Age Limit for Direct recruits : Not applicable
8. Educational & other Qualifications required for direct recruits : Not applicable
9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees : Not applicable
10. Period of probation, if any : Not applicable
11. Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or percentage of the posts to be filled by various methods : To be appointed on deputation from officers of Central Govt. Organized Accounts and Audit Services by the Government of India in consultation with the Chairman, CSWB.
12. In case of Recruitment by promotion/ Deputation/transfer to be made : Not applicable
13. If a DPC exists, what is its composition : Not applicable
14. Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment : Not applicable

**RECRUITMENT RULES FOR THE POST : PAY & ACCOUNTS OFFICER**

1. Name of the post : Pay and Accounts Officer
2. No. of Posts : 1 (One) \*  
\* Subject to variation depending on workload
3. Classification : Group 'A' Ministerial
4. Scale of Pay : Equivalent to Accounts Officer of Organized Accounts and Audit Services of Central Govt.
5. Whether Selection or Non-Selection Post : Not applicable
6. Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (Pension Rules), 1972 : Not applicable
7. Age Limit for Direct recruits : Not applicable
8. Educational & other Qualifications required for direct recruits : Not applicable
9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees : Not applicable

10. Period of probation, if any : Not applicable
11. Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the posts to be filled by various methods : By deputation
12. In case of Recruitment by promotion/ Deputation/transfer to be made: : By deputation from officers of Central govt. Organized Accounts & Audit Services
- holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/department; or
  - with 3 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band of Rs.9300-34800+4600(GP) or equivalent in the parent cadre/department; and
- : period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization shall ordinarily not exceed 3 years.
- : Maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.
13. If a DPC exists, what is its composition : (i) Chairperson, CSWB - Chairman
- (ii) Executive Director, CSWB - Member
- (iii) Joint Director (Pers.) - Member
- (iv) IFA-cum-CAO - Member
14. Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment : Not applicable

**Staffnews.in**

**RECRUITMENT RULES FOR THE POST : ACCOUNTANT**

1. Name of the post : Accountant
2. No. of Posts : 2 (Two)\*
- \* Subject to variation depending on workload.
3. Classification : Group 'B' Ministerial
4. Scale of Pay : Rs. 9300-34800+4200 (GP)
5. Whether Selection or Non-Selection Post : Not applicable
6. Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (Pension Rules), 1972 : Not applicable
7. Age Limit for Direct recruits : 30 years (as per DoPT guidelines)
- Note:** Relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the central Government.

- Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).
8. Educational & other Qualifications required for direct recruits : 1. Degree in Commerce from recognized University.  
2. Three years experience of handling accounts on Computer.
9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees : Not applicable
10. Period of probation, if any : Two years
11. Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the posts to be filled by various methods : By Direct Recruitment failing which by deputation  
Note: Vacancies caused in the posts filled by direct recruitment by the incumbent being away on transfer, on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by deputation as per terms and conditions given against col.12.
12. In case of Recruitment by promotion/ Deputation/transfer to be made: : By deputation from officers of Central Govt./State Govt./Autonomous Bodies & Universities recognized by UGC :  
- Holding analogues post on a regular basis in the parent cadre/Department or  
- With 10 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band of Rs. 5200-20200+2400 (GP) or equivalent in parent cadre/Department  
b) Possessing qualification and experience prescribed for Direct Recruitment.  
: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization shall not ordinarily exceed 3 years.  
: Maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.
13. If a DPC exists, what is its composition : (i) Executive Director, - Chairman  
CSWB  
: (ii) Joint Director (Pers.) - Member

**Staffnews.in**

- : (iii) IFA-cum-CAO - Member
14. Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment : Not applicable

**RECRUITMENT RULES FOR THE POST : STAFF CAR DRIVER GRADE- I**

1. Name of the post : Staff Car Driver Grade-I
2. No. of Posts : 1 (One)\*  
\* Subject to variation depending on workload
3. Classification : Group 'C' Non- Ministerial
4. Scale of Pay : Rs. 5200-20200+2800 (GP)
5. Whether Selection or Non-Selection Post : Not applicable
6. Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (Pension Rules), 1972 : Not applicable
7. Age Limit for Direct recruits : Not applicable
8. Educational & other Qualifications required for direct recruits : Not applicable
9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees : Not applicable
10. Period of probation, if any : Not applicable
11. Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the posts to be filled by various methods : By deputation/promotion (composite method)
12. In case of Recruitment by promotion/ Deputation/transfer to be made: : By promotion from the grade of Staff Car Driver-Grade II with 5 years of service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.

**Note:** The suitability for promotion will be determined by holding a practical test to test driving skills, capability to rectify minor or routine faults and knowledge of traffic rules besides, assessment of relevant records.

: By deputation from Staff Car Driver in Central Government offices/State Govt./Autonomous Bodies and Universities recognised by UGC :-

- holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/ department: or
- with 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band of Rs. 5200-20200+2400 (GP) or equivalent in the parent cadre/ department.

**Note :** Candidates applying for the post on deputation must have passed 10+2 and should

- qualify the practical test mentioned against column 12 above besides, assessment of relevant records.
- : Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization shall ordinarily not exceed 3 years.
- : Maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.
13. If a DPC exists, what is its composition : (i) Executive Director, CSWB - Chairman  
(ii) Joint Director (Pers.) - Member  
(iii) Deputy Director (HR.) - Member
14. Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment : Not applicable

### **RECRUITMENT RULES FOR THE POST : STAFF CAR DRIVER GRADE- II**

1. Name of the post : Staff Car Driver Grade-II
2. No. of Posts : 1 (One)\*  
\* Subject to variation depending on workload.
3. Classification : Group 'C' Non-Ministerial
4. Scale of Pay : Rs. 5200-20200+2400 (GP)
5. Whether Selection or Non-Selection Post : Non selection
6. Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (Pension Rules), 1972 : Not applicable
7. Age Limit for Direct recruits : Not applicable
8. Educational & other Qualifications required for direct recruits : Not applicable
9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees : Not applicable
10. Period of probation, if any : Not applicable
11. Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the posts to be filled by various methods : Promotion failing which by deputation
12. In case of Recruitment by promotion/ Deputation/transfer to be made: : By promotion from the grade of Staff Car Driver- Ordinary Grade 8 years of service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.
- Note:** The suitability for promotion will be determined by holding a practical test to test

driving skills, capability to rectify minor or routine faults and knowledge of traffic rules besides, assessment of relevant records.

: By deputation from officers of Central Government/State Govt./Autonomous Bodies and Universities recognised by UGC:

- holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/ department; or
- with 8 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band of Rs. 5200-20200+1900 (GP) or equivalent in the parent cadre/ department.

**Note:** Candidates applying for the post on deputation must have passed 10+2 and should qualify the practical test mentioned against column 12 above besides, assessment of relevant records.

: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization shall ordinarily not exceed 3 years.

: Maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

13. If a DPC exists, what is its composition : (i) Executive Director, CSWB - Chairman  
(ii) Joint Director (Pers.) - Member  
(iii) Deputy Director (HR) - Member
14. Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment : Not applicable

### **RECRUITMENT RULES FOR THE POST : MULTI TASKING STAFF**

1. **Name of the post** : Multi Tasking Staff
2. **No. of Posts** : 24 (Twenty Four) \*  
\* Subject to variation depending on Workload
3. **Classification** : Group 'C' Non-Ministerial
4. **Scale of Pay** : Rs. 5200-20200+1800 (GP)
5. **Whether Selection or Non-Selection Post** : Not applicable
6. **Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (Pension Rules), 1972** : Not applicable
7. **Age Limit for Direct recruits** : Not applicable

**Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (and not the



- closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).
- In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date of determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.
8. Educational & other Qualifications required for direct recruits : Not applicable
9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees : Not applicable
10. Period of probation, if any : Two years
11. Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the posts to be filled by various methods : 100/% Promotion failing which by deputation
12. In case of Recruitment by promotion/Deputation transfer to be made : Not applicable
13. If a DPC exists, what is its composition
- |      |                          |   |          |
|------|--------------------------|---|----------|
| i)   | Executive Director, CSWB | - | Chairman |
| ii)  | Joint Director (Pers.)   | - | Member   |
| iii) | Deputy Director (HR)     | - | Member   |
| iv)  | Deputy Director (Pers.)  | - | Member   |
14. Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment : Not applicable

**RECRUITMENT RULES FOR THE POST : PROJECT OFFICER**

1. Name of the Post. : Project Officer
2. No. of Posts : 09 (Nine)
3. Classification. : Group 'A'
4. Scale of Pay : Rs. 15600-39100+5400(GP)
5. Whether Selection or non-Selection Post. : Selection.
6. Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (Pension) rules 1972. : Not applicable.
7. Age limit for Direct Recruits. : Not applicable.
8. Educational & other Qualifications required for direct recruits. : Not applicable.

9. Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees. : Not applicable
10. Period of probation, if any. : Two years
11. Method of recruitment whether by direct recruitment or by Promotion or by deputation/transfer & percentage of posts to be filled by various methods. : 100% Promotion failing which by deputation
12. In case of recruitment by promotion/ deputation/transfer to be made. : **For Promotion**  
From the cadre of Assistant Project Officer  
in PB -2 i.e. Rs. 9300-34800+4600 (Grade Pay) with minimum 3 years regular service in the grade.
- For Deputation**
- a) From Officers of Central Govt./State Govt./Autonomous Bodies under the central Govt;  
Holding analogous post on a regular basis in the present cadre/department;  
OR  
With 3 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band of Rs.9300-34800+4600 (GP) or equivalent in the present cadre/department; and  
b) Master's Degree in Social Work/ Sociology/Rural Development or in other Social Sciences from a recognized University/ Institute.  
OR  
Master's Degree in any other subject and having at Graduation level subjects of Social Work/ Sociology/ Rural Development from a recognized University/Institute.  
OR  
Master's Degree in any other subject with Diploma in Social Work/ Sociology/ Rural Development from a recognized University/Institute.
- Desirable**
- i. Basic knowledge of Computer operations, MS Word/Excel.  
ii. 2 years' experience in implementation of Welfare Programmes/Social Work.  
iii. Knowledge of Hindi or regional language and knowledge of maintenance of accounts.
- c) **Period of deputation**  
Including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other

Staffnews.in

- organization/department of the Central/State Govt. shall ordinarily not exceed 3 years.
- (d) Maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.
13. If a DPC exists, what is its composition. : (i) Chairperson, CSWB - Chairperson  
(ii). Executive Director, CSWB - Member  
(iii) A representative of - Member  
Ministry of Women & Child  
Development, Govt. of India  
not below the rank of Deputy  
Secretary
14. Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment. : Not applicable.

**RECRUITMENT RULES FOR THE POST : ASSISTANT PROJECT OFFICER**

1. Name of the Post. : Assistant Project Officer
2. No. of Posts. : 22 (Twenty Two)
3. Classification. : Group 'B'
4. Scale of Pay : Rs. 9300-34800+4600(GP)
5. Whether Selection or not Selection Post : Selection
6. Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (Pension) rules, 1972. : Not Applicable.
7. Age limit for Direct Recruits. : Not Applicable.
8. Educational & other Qualifications required for direct recruits : Not Applicable.
9. Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees. : Not Applicable.
10. Period of probation, if any : Not Applicable.
11. Method of recruitment whether by direct recruitment or by Promotion or by deputation/transfer & percentage of the posts to be filled by various methods. : 100% by Promotion failing which by deputation
12. In case of recruitment by promotion/deputation/transfer to be made. : **For Promotion**  
From the cadre of Welfare Officer in PB-2 i.e Rs. 9300-34800+4200 (Grade Pay) with minimum 5 years regular service in the grade.

**For Deputation**

- a) From Officer of Central Govt./State Govt./Autonomous

Bodies/Universities under UGC;

Holding analogous post on a regular basis in the present cadre/department;

OR

With 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band of Rs. 9300-34800+4200 (GP) or equivalent in the present cadre/department; and

- b) Master's Degree in Social Work/ Sociology/Rural Development or in other Social Sciences from a recognized University/ Institute.

OR

Master's Degree in any other subject and having at Graduation level subjects of Social Work/ Sociology/ Rural Development from a recognized University/ Institute.

OR

Master's Degree in any other subject with Diploma in Social Work/ Sociology/ Rural Development from a recognized University/Institute.

**Desirable**

i. Basic knowledge of Computer operations, MS Word/ Excel.

ii. 2 years' experience in implementation of Welfare Programmes/Social Work.

iii. Knowledge of Hindi or regional language and knowledge of maintenance of accounts.

c) **Period of deputation**

Including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central/State Govt. shall ordinarily not exceed 3 years.

d) Maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.

- |  |   |  |
|--|---|--|
| If a DPC, exists, what is its composition.                           | : | i). Chairperson, CSWB - Chairperson.<br>ii). Executive Director, CSWB - Member<br>iii) Joint Director, FO Estt. - Member |
| Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment | : | Not applicable.  |

**RECRUITMENT RULES FOR THE POST : WELFARE OFFICER**

- |                                   |   |                         |
|-----------------------------------|---|-------------------------|
| 1. Name of Post                   | : | Welfare Officer         |
| 2. No. of Posts                   | : | 29 (Twenty Nine)        |
| 3. Classification                 | : | Group 'B'               |
| 4. Pay Band & Grade Pay           | : | Rs. 9300-34800+4200(GP) |
| 5. Whether Selection Post or Non- | : | Not applicable          |

selection Post.

6. Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of CCS (Pension Rules) 1972 : Not applicable

7. Age limit for Direct Recruits : Not exceeding 30 years.

The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).

8. Educational and other Qualification required for direct recruits : a) Master's Degree in Social Work/Sociology/Rural Development or in other Social Sciences from a recognized University/Institute.

OR

Master's Degree in any other subject and having at Graduation level subjects of Social Work/ Sociology/ Rural Development from a recognized University or Institute.

OR

Master's Degree in any other subject with Diploma in Social Work/ Sociology/ Rural Development from a recognized University or Institute.

**Staffnews.in**

b) Basic knowledge of Computer operations MS Word/ Excel.

c) 2 years experience in implementation of Welfare Programmes/Social Work.

**Desirable**

Knowledge of Hindi or regional language and knowledge of maintenance of accounts.

9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees. : Not Applicable

10. Period of probation, if any : Two years

11. Method of recruitment : 100% Direct Recruitment

whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of the posts to be filled by various methods

Note: Vacancies caused in the posts filled by direct recruitment by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by deputation basis as per terms & conditions given against col.12.

12. In case of recruitment by deputation, grades from which promotion/deputation/ transfer is : a) By deputation from officers of Central Govt./State Govt./Autonomous bodies & Universities recognized by UGC holding analogous post on

to be made

regular basis in the present cadre/department or with 10 years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band of Rs. 5200-20200+2400 (GP) or equivalent in the parent cadre/department; and

- b) Possessing qualification and experience prescribed as follows:-

Master's Degree in Social Work/Sociology/Rural Development or in other Social Sciences from a recognized University/Institute.

OR

Master's Degree in any other subject and having at Graduation level subjects of Social Work/ Sociology/ Rural Development from a recognized University/Institute

OR

Master's Degree in any other subject with Diploma in Social Work/Sociology/Rural Development from a recognized University Institute.

**Desirable**

i. Basic knowledge of computer operations, MS Word/Excel

ii. 2 years experience in implementation of Welfare Programmes/Social Work.

iii. Knowledge of Hindi or regional language and knowledge of maintenance of accounts.

c) **Period of Deputation** Including the period deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central/State Govt. shall ordinarily not exceed 3 years.

d) Maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application

13. If a selection Committee exists, what is its composition : i. Chairperson, CSWB - Chairperson  
ii. Executive Director, CSWB - Member  
iii. Joint Director (FO-Estt) - Member
14. Circumstances in which UPSC is to be consulted in making Recruitment : Not applicable

**Staffnews.in**